पृ. क्रमांकः **4386**/अका./का.प./**2017** रायपुर, दिनांक :01/07/**2017**

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की तींसवीं* बैठक शुक्रवार, दिनांक 07.07.2017 को अपरान्ह 03.00 बजे की विषयसूची

01. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक, दिनांक 22.05.2017 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना। *(पृ.क्र.1 से 6 तक)*

02. विश्वविद्यालय के कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 22.05.2017 के कार्यवाही विवरण पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

03. विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 06.06.2017 एवं 29.06.2017 के कार्यवृत का अनुमोदन करना । *(पृ.क्र.7 से 13 तक)*

04. विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड की बैठक दिनांक 01.07.2017 के कार्यवृत का अनुमोदन करना । *(पृ.क्र.14 से 17 तक)*

वित्त विभाग से संबंधित प्रस्ताव :–

05 (i) छ.ग. शासन, वित्त विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर के आदेश कमांक 268/एफ–2013–04–00416/वित्त/नियम/चार नया रायपुर दिनांक 13 जून, 2017 के अनुसार पुनरीक्षित वेतनमान प्राप्त कर रहे शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों को दिनांक 01.01.2017 से 136 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दिये जाने हेतु विचारार्थ प्रस्तुत। *(पृ.क्र.18 से 21 तक)*

(ii) छ.ग. शासन, वित्त एवं योजना विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर के आदेश कमांक 285/एफ–2013–04–00416/वित्त/नियम/चार नया रायपुर दिनांक 21 जून, 2017 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के पुनरीक्षित वेतनमान प्राप्त कर रहे पेंशनरों एवं 90 प्रतिशत प्रत्याशित पेंशन प्राप्त कर रहे कर्मचारियों को दिनांक 01.01.2017 से 136 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दिये जाने हेतु विचारार्थ प्रस्तुत। *(पृ.क्र.22 से 29 तक)*

(iii) विश्वविद्यालय द्वारा केन्द्र सरकार की योजना "कर्मचारी सदस्यता अभियान–2017" के तहत 115 दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों का दिनांक 01.04.2009 से 31.12.2016 तक का 93 महिनों का ई.पी.एफ. एवं ई.सी.एस. के प्रावधानों के अंतर्गत नियोक्ता अशदान 12 प्रतिशत की दर से राशि रूपये 48,26,200.00 (अडतालिस लाख छब्बीस हजार दो सौ रूपये) भुगतान का कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।

(पृ.क्र.30 से — तक)

(iv) **DST-FIST-Level-I Anthropology** हेतु प्राप्त अनुदान 33.00 लाख में सें विभिन्न उपकरण जिसका मूल्य 7,90,623.00 (सात लाख नब्बे हजार छैः सौ तेईस) है, भुगतान किये जाने की स्वीकृति हेतु। (पृ.क्र 31 से 32)

06. सेमेस्टर (स्नातकोत्तर) एवं सेमेस्टर परीक्षा बी.एड/एम.एड. मई–जून 2017 के सुचारू संचालन हेतु 60 परीक्षा केन्द्रों को अग्रिम राशि रूपये 14.40 लाख का भुगतान की सूचना ग्रहण करना । (पृ.क्र.33 से 35 तक)

07. सेमेस्टर परीक्षा 2016 के डिजीटल मूल्यॉकन कार्य देयक 6,39,934=00 (छैः लाख उन्तालिस हजार नौ सौ चौतीस रूपये) भुगतान की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत। (पृ.क्र.36 से.... तक)

08. कोरी उत्तर पुस्तिका मुद्रण कराने का देयक रू. 92,15,250=00 (ब्यानबे लाख पन्द्रह हजार दो सौ पचास रूपये मात्र) भुगतान स्वीकृति के संबंध में प्रस्तुत। (पृ.क्र.37 से.... तक)

<u>परीक्षा विभाग से संबंधित प्रस्ताव</u> :–

09. रिखी लाल साहू, सहायक शिक्षक के आवेदन पत्र B.A.,M.A. (Political Science) के अंकसूची के समर्पण को स्वीकार करने पर विचार करना। (पृ.क्र.38 से.... तक)

10. श्री मनहरण लाल ध्रुव, सहायक शिक्षक के आवेदन पत्र में B.A.,M.A. (Economics, Sanskrit) के अंकसूची के समर्पण को स्वीकार करने पर विचार करना। (पृ.क्र.39 से.... तक)

<u>विकास विभाग से संबंधित प्रस्ताव</u> :–

11. केन्द्रीय कय समिति में सदस्य मनोनीत करने हेतु विचार करना। (पृ.क्र.40 से 41 तक)

12. केन्द्रीय अपलेखन समिति के पुनर्गठन हेतु विचार करना। (पृ.क्र.42 से.... तक)

13. 02 नग माल वाहक वाहन कय करने पर विचार करना। (पृ.क्र.43 से.... तक)

14. विश्वविद्यालय परिसर में बाधा रहित इन्टरनेट रखने के लिये **Firewall** के कय हेतु। (पृ.क्र.... से.... तक)

<u>अकादमिक विभाग से संबंधित प्रस्ताव</u> :–

15. डॉ. श्रुति झा, प्राचार्य, प्रगति महा. चौबे कालोनी, रायपुर के त्याग पत्र की सूचना ग्रहण करना। (पृ.क्र.44 से.... तक)

16. दुर्गा महाविद्यालय, रायपुर के प्रकरण पर विचार करना। (पृ.क्र.45 से.46 तक)

<u>प्रशासन विभाग से संबंधित प्रस्ताव</u> :–

17. डॉ दिलीप तिर्की, सहायक संचालक, शारीरिक शिक्षा की धारणाधिकार समाप्त किये जाने के संबंध में विचार करना। (पृ.क्र.47 से.... तक)

18. सुश्री माण्डवी साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रबंध संस्थान के स्थायीकरण के संबंध में प्रस्तुत। (पृ.क्र.48 से.... तक)

19. विधानसभा सदस्य श्री सत्यनारायण शर्मा के पत्र कमांक 336 दिनांक 19.05. 2017 कें संदर्भ में श्री जानकी प्रसाद शर्मा बर्खाश्त (निम्न वर्ग लिपिक) कर्मचारी के प्रकरण पर विचार करना। (पृ.क्र.49 से.67 तक)

20. विश्वविद्यालय परिसर में स्थित मॉ बंजारी का मंदिर के भली–भॉति संचालन हेतु विनियम के अनुशंसा के संबंध में विचार करना। (पृ.क्र.68 से.74 तक)

21. विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन में अभिलेखागार स्थापित करने के लिये प्रस्तावित विनियम का अनुमोदन करना। (पृ.क्र. से.... तक)

22. अध्यादेश 77.A के अनुसार **Proctorial Board & Discipline Committee** के गठन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत। (पृ.क्र.76 से.... तक)

23. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण पर विचार करना।

कुलसचिव

पृ. क्रमांकः **4387**/अका./का.प./**2017** रायपुर, दिनांक : 01/07 /**2017**

प्रतिलिपि :–

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
3. जनसम्पर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
4. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उपकुलसचिव (अका.)

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

NAAC ACCREDITED "A"

क्रमांक: 4078/अका./का.प./2017 रायपुर, दिनांक : 23/05/2017

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की उन्तीसवीं* बैठक सोमवार, दिनांक 22.05.2017 को अपराह्न 3:00 बजे कुलपति सचिवालय के बैठक कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए:

1. प्रो. एस.के. पाण्डेय, कुलपति – अध्यक्ष
2. डॉ. अमरकांत पाण्डेय – सदस्य
3. डॉ. शैलेन्द्र सराफ – सदस्य
4. डॉ. (श्रीमती) मोयना चक्रवर्ती – सदस्य
5. डॉ. (श्रीमती) शैल शर्मा – सदस्य
6. डॉ. (श्रीमती) जेड.टी. खान – सदस्य
7. डॉ. डी.एन. वर्मा – सदस्य
8. श्री एस.के. चक्रवर्ती – सदस्य
9. डॉ. बी.एल. तिवारी – सदस्य
10. श्री ललित सुरजन – सदस्य
11. श्री नरेश चंद्र गुप्ता – सदस्य
12. प्रो. आर.पी. दीक्षित – सदस्य
13. डॉ. लक्ष्मीकांत भारती – सदस्य
14. श्री शिवरतन शर्मा – सदस्य
15. श्री श्रीचंद सुंदरानी – सदस्य
16. श्री सत्यनारायण शर्मा – सदस्य
17. श्री धर्मेश कुमार साहू (I.A.S.) कुलसचिव – सचिव

कार्यवृत्त :

कार्यपरिषद् की 29वीं बैठक में उपस्थित माननीय कार्यपरिषद् सदस्यों का स्वागत करते हुए कुलपति जी ने विश्वविद्यालय में 23वें दीक्षांत समारोह दिनांक 09 मई, 2017 को आयोजित का प्रतिवेदन निम्नानुसार प्रस्तुत किया –

कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 28.03.2017 के निर्णयानुसार दिनांक 09.05.2017 को विश्वविद्यालय का 23वाँ दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में पद्म भूषण डॉ. आशीष दत्ता उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय कुलाधिपति एवं राज्यपाल छत्तीसगढ़ राज्य, श्री बलरामजी दास टंडन ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, डॉ. रमन सिंह, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री श्री प्रेम प्रकाश पांडेय, माननीय सांसद रायपुर श्री रमेश बैस, तथा माननीय कृषि एवं पशुपालन मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल उपस्थित हुए।

दीक्षांत समारोह में दिनांक 24.08.2016 से 02.05.2017 तक 120 छात्रों को पी–एच.डी. की उपाधि निम्न संकायों के विषय में प्रदान की गई –

कला संकाय – अंग्रेजी 2, हिन्दी 18, भाषा विज्ञान 1, संस्कृत 1, **सामाजिक विज्ञान संकाय** – प्रा.भा इतिहास 2, इतिहास 7, मनोविज्ञान 4, समाजशास्त्र 9, राजनीति विज्ञान 9, अर्थशास्त्र 6, भूगोल 6, **शिक्षा संकाय** – शिक्षा 2, **शारीरिक शिक्षा संकाय** – शारीरिक शिक्षा 5 **वाणिज्य संकाय** – वाणिज्य 16, **प्रबंध संकाय** –प्रबंध 3, **गृह विज्ञान संकाय**–गृह विज्ञान 2, **विज्ञान संकाय**–रसायन शास्त्र 8, भौतिकी 5, गणित 5, कम्प्यूटर साइंस 1, इलेक्ट्रानिक्स 1 **जीव विज्ञान संकाय** – माइक्रोबायोलॉजी 1, बाटनी 1, जूलॉजी 1, बायोटेक्नालॉजी 2, मानवविज्ञान 1, **टेक्नोलॉजी संकाय** – फार्मेसी 01

एवं विभिन्न पाठ्यक्रमों में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्र–छात्राओं को विश्वविद्यालय एवं दानदाताओं द्वारा प्रदत्त 128 स्वर्ण पदक प्रदान किये गये। कार्यक्रम अत्यंत उल्लासपूर्ण एवं गरिमामय वातावरण में सम्पन्न हुआ।

मुख्य विषय सूची

01. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक, दिनांक 28.03.2017 एवं 26.04.2017 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 28.03.2017 एवं 26.04.2017 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि प्रदान की गई।

02. विश्वविद्यालय के कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 28.03.2017 एवं 26.04.2017 के कार्यवाही विवरण पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 28.03.2017 एवं 26.04.2017 की बैठक के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण किया गया।

<u>वित्त विभाग से संबंधित प्रस्ताव</u> :–

03. श्री एम.के. भिड़े, वरिष्ठ अधीक्षक (अनि.से.नि.) को 90 प्रतिशत प्रत्याशित पेंशन की राशि रु. 5,12,778=00 के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय : श्री एम.के. भिड़े, वरिष्ठ अधीक्षक (अनि.से.नि.) को 90 प्रतिशत प्रत्याशित पेंशन की राशि रु. 5,12,778=00 के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

04. वार्षिक परीक्षा 2017 के नामांकन एवं परीक्षा पूर्व कार्य देयक रु. 13,20,619/– भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय : वार्षिक परीक्षा 2017 के नामांकन एवं परीक्षा पूर्व कार्य देयक रु. 13,20,619/– भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

05. पूरक परीक्षा 2016 एवं सेमेस्टर परीक्षा 2016 के आनलाइन एवं परीक्षा पूर्व कार्य देयक रु. 5,83,623/– के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय : पूरक परीक्षा 2016 एवं सेमेस्टर परीक्षा 2016 के आनलाइन एवं परीक्षा पूर्व कार्य देयक रु. 5,83,623/– के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

06. 200 महाविद्यालयों को परीक्षा अग्रिम मद से राशि रुपये 42,24,132.00 का अग्रिम मान्य करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : 200 महाविद्यालयों को परीक्षा अग्रिम मद से राशि रुपये 42,24,132.00 का अग्रिम प्रदान किये जाने का अनुमोदन किया गया।

07. 75 परीक्षा केन्द्रों को मुख्य परीक्षा 2017 हेतु केन्द्र अग्रिम द्वितीय किश्त राशि रुपये 30,57,000.00 के भुगतान की स्वीकृति का अनुमोदन करना।

निर्णय : 75 परीक्षा केन्द्रों को मुख्य परीक्षा 2017 हेतु केन्द्र अग्रिम द्वितीय किश्त राशि रुपये 30,57,000.00 के भुगतान की स्वीकृति का अनुमोदन किया गया।

<u>प्रशासन विभाग से संबंधित प्रस्ताव</u> :–

08. स्वामी विवेकानंद चेयर में नियुक्त प्रोफेसर की सेवा वृद्धि के संबंध में विचार करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के पत्र क्र. F.No. 22-4/2016 (FD-1/B) दिनांक 29.03.2017 के अनुसार स्वामी विवेकानंद चेयर प्रोफेसर के पर नियुक्त डॉ. ओ.पी. वर्मा, सेवानिवृत्त प्रोफेसर का कार्यकाल दिनांक 01.04.2017 से वित्तीय वर्ष 2017–18 अर्थात् दिनांक 31.03.2018 तक सेवावृद्धि किये जाने का अनुमोदन किया गया।

09. सुश्री माण्डवी साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रबंध संस्थान के स्थायीकरण के संबंध में विचार करना।

निर्णय : सुश्री माण्डवी साहू की परीविक्षावधि 3 वर्ष से अधिक होने के कारण पुनः परीक्षण कर विधि सम्मत प्रावधानानुसार आगामी कार्यपरिषद् में प्रस्तुत किया जावे।

<u>अकादमिक विभाग से संबंधित प्रस्ताव</u> :–

10. प्राचार्य पद के लिये चयन समिति की अनुशंसा, बंद लिफाफा के संबंध में विचार करना।
(1) आर.आई.टी.ई.ई. कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट, रायपुर
(2) श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, पचेड़ा, अभनपुर, जिला–रायपुर

निर्णय : प्राचार्य पद के लिए चयन समिति की अनुशंसा अनुसार निम्नानुसार महाविद्यालयों के नाम के समक्ष उल्लेखित व्यक्तियों के नाम का अनुमोदन किया गया :

स.क्र.	महाविद्यालय का नाम	चयनित व्यक्ति का नाम
1	आर.आई.टी.ई.ई. कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट, रायपुर	डॉ. समीर ठाकुर

2. श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, पचेड़ा, अभनपुर, जिला–रायपुर में प्राचार्य शारीरिक शिक्षा के पद पर चयनित अभ्यर्थी डॉ. सुमीत कुमार तिवारी के बायोडाटा का परीक्षणोपरांत अनुमोदन पत्र जारी किया जाय।

एन.सी.एन.आर. से संबंधित प्रस्ताव :–

11. NCNR प्रोजेक्ट के अंतर्गत डॉ. एम.एल. नायक सेवानिवृत्त प्राध्यापक बायोसाइंस अध्ययनशाला की सेवाएं, कन्सल्टेंट के रूप में दिनांक 01 मई, 2017 से 31 अगस्त, 2017 तक सेवावृद्धि किये जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **NCNR प्रोजेक्ट के अंतर्गत डॉ. एम.एल. नायक सेवानिवृत्त प्राध्यापक बायोसाइंस अध्ययनशाला की सेवाएं, कन्सल्टेंट के रूप में दिनांक 01 मई, 2017 से 31 अगस्त, 2017 तक सेवावृद्धि किये जाने का अनुमोदन किया गया।**

अध्यक्ष के अनुमति से अन्य निर्णय

12. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 18.05.2017 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

निर्णय : **विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 18.05.2017 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।**

13. बी.ए. क्लासिक्स (प्राच्य संस्कृत) भाग–3 पूरक परीक्षा 2016 के परीक्षा परिणाम के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **बी.ए. क्लासिक्स (प्राच्य संस्कृत) भाग–3 पूरक परीक्षा 2016, दिनांक 31.12.2016 को घोषित परिणाम को, भविष्य में दृष्टांत न मानते हुए, छात्रहित में यथावत् रखा जाए तथा छात्रों की अंकसूची में परीक्षा का माध्यम 'हिन्दी' अंकित किया जाए। अध्यक्ष अध्ययन मण्डल एवं मुल्यांकन कर्ताओं पर यथोचित निर्णय लेने के लिए कुलपति जी को अधिकृत किया गया।**

14. बार काऊंसिल में पंजीकृत अधिवक्ताओं के विधि पाठ्यक्रम के अंकसूची/उपाधियों के सत्यापन, माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के निर्णयानुसार, निःशुल्क किये जाने के संबंध में सूचनार्थ।

निर्णय : **बार काऊंसिल में पंजीकृत अधिवक्ताओं के विधि पाठ्यक्रम के अंकसूची/उपाधियों के सत्यापन, माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के निर्णयानुसार, निःशुल्क किये जाने की सूचना ग्रहण की गई।**

15. श्री बी.पी. बाजपेयी, सेवानिवृत्त द्वितीय श्रेणी लिपिक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर दिनांक 24.04.2017 से 1 माह के लिये निश्चत मानदेय रु. 10,000.00 पर नियुक्त किया गया है, की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : **श्री बी.पी. बाजपेयी, सेवानिवृत्त द्वितीय श्रेणी लिपिक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर दिनांक 24.04.2017 से 1 माह के लिये निश्चत मानदेय रु. 10,000.00 पर नियुक्त किये जाने की सूचना ग्रहण किया गया।**

16. वार्षिक परीक्षा (मुख्य परीक्षा अप्रैल–मई 2017) के गोपनीय मुद्रण कार्य हेतु अधिकृत फर्म के द्वारा प्रस्तुत देयकों के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

17. शिक्षकों के रिक्त पदों एवं केरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत पदोन्नति के लिए गठित चयन समिति के द्वारा दिनांक 12.04.2017 से 25.04.2017 को आयोजित साक्षात्कार में की गई अनुशंसा संबंधी लिफाफे खोले गये तथा नियुक्ति हेतु मान्य किया गया –

Interview Date	Subject	Post	Name	With Effect From
12-04-2017	Botany CBS	Assistant Professor (UR)	Dr. Veenu Joshi - **Selected** **Waiting List :-** 1. Ravishankar Chauhan 2. Rahul Sharma 3. Sushma Mishra 4. Virendra Kumar Sharma 5. Ashutosh Kumar 6. Rashmi Dwivedi	
15-04-2017	Computer Sc.	Professor (CAS)	Dr. Sanjay Kumar	15-04-2017
		Associate Professor (CAS)	Committee does not recommend Promotion	
21-04-2017	Bioscience	Assistant Professor (ST)	Mr. S.S. Dewhare - **Selected** **Waiting List :-** 1. Ms. Veena Thakur	
		Associate Professor (CAS)	Dr. Amia Ekka	20-09-2015
		Associate Professor (ST)	Dr. Amia Ekka - **Selected**	
		Professor (CAS)	Dr. Arti Parganiha	08-11-2015
22-04-2017 & 23-04-2017	Bioscience	Assistant Professor (UR)	Mr. Manoj K. Patel- **Selected** **Waiting List :-** 1. Mr. Bhoj Kumar 2. Mr. Saikat Biswas 3. Mr. Krishan Kumar	
25-04-2017	Hindi/ F.C. for CBS	Assistant Professor (UR)	Mr. Girija Shankar Gautam- **Selected** **Waiting List :-** 1. Ms. Saroj Chakradhar 2. Ms. Arti Pathak 3. Ms. Priyadarshini	

अध्यक्ष के अनुमति से विविध चर्चा

18. माननीय श्री शिवरतन शर्मा विधायक भाटापारा के द्वारा बी.ए.एल.एल.बी. के प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर का रिजल्ट अत्यधित खराब होने के कारण ज्यादातर छात्र–छात्राओं को ए. टी.के.टी. प्राप्त हुआ है। इस पर चर्चा करते हुए सुझाव दिया गया कि प्रकरण का परीक्षण कर, वस्तुस्थिति के संबंध में विवरण आगामी बैठक में रखा जावे।

19. माननीय श्री सत्यनारायण शर्मा, विधायक, रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र ने विश्वविद्यालय के बर्खाश्त कर्मचारी के प्रकरण को पुनः कार्यपरिषद् पर रखने हेतु चर्चोपरान्त आगामी कार्यपरिषद् में प्रकरण को पुनः प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

20. श्री श्रीचंद सुंदरानी, विधायक, रायपुर के द्वारा दुर्गा महाविद्यालय के विभिन्न प्रकरणों के संबंध में चर्चा की गई एवं चाही गई जानकारी से अवगत कराया गया।

21. माननीय कार्यपरिषद् सदस्य श्री नरेश चंद गुप्ता जी के द्वारा प्रस्तुत श्री शिवरतन शर्मा विधायक, श्री सत्यनारायण शर्मा, विधायक के पत्रों के माध्यम से हिन्दी विषय में नियुक्ति हेतु निर्धारित स्नातक उपाधि में 55 प्रतिशत प्राप्तांक की अनिवार्यता पर जानकारी देते हुए बताया गया कि अभी तक विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी प्रकार की योग्य/अयोग्य की सूची जारी नहीं की गई है।

22. पी.जी.डी.सी.ए. पाठ्यक्रम में कुछ महाविद्यालय द्वारा नियम विरूद्ध पूरक छात्रों को प्रवेश दिये जाने के कारण, छात्रों के परीक्षा को निरस्त किया गया।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक संपन्न हुई।

कुलपति
अध्यक्ष

कुलसचिव
सचिव

पृ. क्रमांक: 4079 /अका./का.प./2017 रायपुर, दिनांक : 23/05/2017

प्रतिलिपि :–

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
3. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला/समस्त विभागीय अधिकारी,
4. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्/जनसंपर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
5. वित्त नियंत्रक/प्रभारी, अंकेक्षण,
6. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)

(1)

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

ACCREDITED BY NAAC WITH GRADE "A"

क्रमांक 4222/अका./वि.प.स्थायी समिति/2017 रायपुर, दिनांक: 06/06/2017
07

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक मंगलवार, दिनांक 06.06.2017 अपराह्न 04.30 बजे विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के कुलपति सचिवालय के बैठक–कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे –

1. प्रो. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	–	अध्यक्ष
2. डॉ. शैलेन्द्र सराफ	–	सदस्य
3. डॉ. जेड.टी. खान	–	सदस्य
4. डॉ. अमरकान्त पाण्डेय	–	सदस्य
5. डॉ. शैल शर्मा	–	सदस्य
6. डॉ. मोयना चक्रवर्ती	–	सदस्य
7. डॉ. सी.एल. पटेल	–	सदस्य
8. श्री धर्मेश कुमार साहू (I.A.S.) कुलसचिव	–	सचिव

बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

01. विद्या–परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 18.05.2017 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णयः **विद्या–परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 18.05.2017 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई।**

02. विद्या–परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 18.05.2017 का पालन प्रतिवेदन का अनुमोदन करना।

निर्णयः **विद्या–परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 18.05.2017 के पालन प्रतिवेदन का सूचना ग्रहण किया गया।**

03. अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने हेतु

(i) श्री शंकराचार्य इन्स्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, मुजगहन, पो.आ.–सेजबहार, जिला–रायपुर B.Sc. (Maths, Physics, Computer Sc.)-40, B.Com. Computer Application -40 Seats, B.Com. - 40 Seats, B.B.A.-40 Seats सत्र 2017–18 से पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने हेतु।

(B)

(ii) दुलीचंद जालान कॉलेज ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, तिलईपाली, सरसीवां, जिला–बलौदाबाजार –भाटापारा B.Com-I- (seats-75), B.Sc.-I-Botany, Zoology, Physics, Chemistry (seats-75), B.C.A.-I-(seats-30), DCA(seats-30), B.A.-I- Pol.Sc., Sociology, Economics, and Hindi/English (seats-75) सत्र 2017–18 से पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने हेतु।

निर्णयः (i) श्री शंकराचार्य इन्स्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, मुजगहन, पो.आ.–सेजबहार, जिला–रायपुर **B.Sc. (Maths, Physics, Computer Sc.)-40, B.Com. Computer Application -40 Seats, B.Com. -40 Seats, B.B.A.-40 Seats** सत्र 2017–18 से अस्थायी सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई। तीन माह के अंदर परिनियम 28 के तहत शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों की पूर्ति कर विश्वविद्यालय को सूचित करें।

(ii) दुलीचंद जालान कॉलेज ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, तिलईपाली, सरसीवां, जिला–बलौदाबाजार –भाटापारा **B.Com-I- (seats-75), B.Sc.-I-Botany, Zoology, Physics, Chemistry (seats-75), B.C.A.-I-(seats-30), DCA(seats-30), B.A.-I- Pol.Sc., Sociology, Economics, and Hindi/English (seats-75)** सत्र 2017–18 से अस्थायी सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई। तीन माह के अंदर परिनियम 28 के तहत शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों की पूर्ति कर विश्वविद्यालय को सूचित करें।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यवाही सम्पन्न हुई।

कुलपति
अध्यक्ष

कुलसचिव
सचिव

पृ. क्रमांक 4223/अका./वि.प.स्थायी समिति/2017 रायपुर, दिनांक: 06/06/2017
07

प्रतिलिपि :–

1. समस्त संकायाध्यक्षों को,
2. उ.कु.स. गोपनीय/परीक्षा,
3. वित्त नियंत्रक/अंकेक्षण,
4. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)

(9)

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

ACCREDITED BY NAAC WITH GRADE "A"

क्रमांक 4406/अका./वि.प.स्थायी समिति/2017 रायपुर, दिनांक: 4/07/2017

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक गुरुवार, दिनांक 29.06.2017 अपराह्न 04.00 बजे विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के कुलपति सचिवालय के बैठक–कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे –

1. प्रो. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	–	अध्यक्ष
2. डॉ. शैलेन्द्र सराफ	–	सदस्य
3. डॉ. शैल शर्मा	–	सदस्य
4. डॉ. राजीव चौधरी	–	सदस्य
5. डॉ. जेड.टी. खान	–	सदस्य
6. डॉ. ए.के. श्रीवास्तव	–	सदस्य
7. डॉ. मोयना चक्रवर्ती	–	सदस्य
8. डॉ. सी.एल. पटेल	–	सदस्य
9. श्री धर्मेश कुमार साहू (I.A.S.) कुलसचिव	–	सचिव

बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

01. विद्या–परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 06.06.2017 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णयः विद्या–परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 06.06.2017 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई।

02. विद्या–परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 06.06.2017 का पालन प्रतिवेदन का अनुमोदन करना।

निर्णयः विद्या–परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 06.06.2017 के पालन प्रतिवेदन का सूचना ग्रहण किया गया।

03. **अस्थायी सम्बद्धता एवं सीट वृद्धि प्रदान करने हेतु**

(i) के.डी. रूंगटा कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नालॉजी, अटारी, रायपुर B.Com. Computer Appl. (Seat increase) - 40 Seats सत्र 2017–18 से सीट वृद्धि किये जाने हेतु।

(ii) दिशा कॉलेज रामनगर, कोटा रोड, रायपुर M.Com. Final Year - 25 Seats सत्र 2017–18 से पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने हेतु।

(iii) पं. हरिशंकर शुक्ल स्मृति महा. कचना रोड, रायपुर New Course-_M.Sc. - Computer Sc. -20, B.Sc. -III Bio Group -Chemistry, Botany, Zoology-40 seats, B.Sc. -III Maths Group-Physics, Chemistry, Maths-40 seats, Seat Extension B.Sc. Bio Group-40 seats, B.Sc. Maths Group-40 seats सत्र 2017–18 से पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने हेतु।

(iv) शास. जे.योगानंदम छत्तीसगढ़ महावि. रायपुर M.Sc. Prev. Zoology -25 सत्र 2017–18 से नवीन पाठ्यक्रम प्रारंभ एवं B.Com.-III Computer Appli.-30 सत्र 2012–13 से सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु।

(v) क्रुति स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, नरदहा, रायपुर BBA-II-40, BCA-II-30, B.Com.-II-60 Compulsory Sub. with Computer Application - Additional Subject) सत्र 2013–14 एवं BBA-III-40, BCA-III-30, B.Com.-III-60 (Compulsory Sub. with Computer Application - Additional Subject) सत्र 2014–15 से सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु।

निर्णयः (i) के.डी. रूंगटा कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नालॉजी, अटारी, रायपुर **B.Com. Computer Appl. (Seat increase) - 40 Seats** महाविद्यालय में परिनियम 28 के अंतर्गत शिक्षकों की नियुक्ति पूर्ण होने के पश्चात् सीट वृद्धि के संबंध में विचार किया जावेगा।

(ii) दिशा कॉलेज रामनगर, कोटा रोड, रायपुर M.Com. Final Year - 25 Seats सत्र 2017–18 से अस्थायी सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई। तीन माह के अंदर परिनियम 28 के तहत शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों की पूर्ति कर विश्वविद्यालय को सूचित करें।

(iii) पं. हरिशंकर शुक्ल स्मृति महा. कचना रोड, रायपुर **New Course-_M.Sc. - Computer Sc. -20** सत्र 2017–18 से अस्थायी सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई। तीन माह के अंदर परिनियम 28 के तहत शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों की पूर्ति कर विश्वविद्यालय को सूचित करें।

अस्थायी सम्बद्धता **B.Sc. -III Bio Group -Chemistry, Botany, Zoology-40 seats, B.Sc. -III Maths Group-Physics, Chemistry, Maths-40 seats, Seat Extension B.Sc. Bio Group-40 seats, B.Sc. Maths Group-40 seats** के लिये परिनियम 28 के अंतर्गत शिक्षकों की नियुक्ति पूर्ण होने के पश्चात् अस्थायी सम्बद्धता एवं सीट वृद्धि के संबंध में विचार किया जावेगा।

(iv) शास. जे.योगानंदम छत्तीसगढ़ महावि. रायपुर **M.Sc. Prev. Zoology -25** सत्र 2017–18 से नवीन पाठ्यक्रम प्रारंभ एवं **B.Com.-III Computer Appli.-30** सत्र 2012–13 से अस्थायी सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।

(11)

(v) क्रुति स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, नरदहा, रायपुर **BBA-II-40, BCA-II-30, B.Com.-II-60 Compulsory Sub. with Computer Application - Additional Subject) सत्र 2013–14 एवं BBA-III-40, BCA-III-30, B.Com.-III-60 (Compulsory Sub. with Computer Application - Additional Subject) सत्र 2014–15 से अस्थायी सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई। तीन माह के अंदर परिनियम 28 के तहत शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों की पूर्ति कर विश्वविद्यालय को सूचित करें।**

04. छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 30(1)(पांच) के अंतर्गत विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड में तीन सदस्य मनोनयन की कार्योत्तर अनुशंसा हेतु प्रस्तुत।

निर्णयः **छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 30(1)(पांच) के अंतर्गत विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड में निम्नलिखित तीन सदस्य के मनोनयन की कार्योत्तर अनुशंसा की गई –**

[1] डॉ. प्रदीप के सिन्हा, डायरेक्टर, आई.आई.आई.टी.

[2] प्रो. रजत मूना, डायरेक्टर, आई.आई.टी. भिलाई

[3] प्रो. भरत भास्कर, डायरेक्टर, आई.आई.एम., रायपुर

05. महाविद्यालय बंद करने हेतु

1. दिशा कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स, रामनगर, कोटा रायपुर
2. प्रिंसेस कॉलेज, धमतरी रोड, देवपुरी, रायपुर

निर्णयः **1. दिशा कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स, रामनगर, कोटा रायपुर ने बी.एड्. पाठ्यक्रम को बंद करने स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय से प्राप्त NOC के आधार पर उपरोक्त पाठ्यक्रम सत्र 2017–18 से सम्बद्धता वापस लेते हुए महाविद्यालय बंद किये जाने की अनुशंसा की गई। समस्त देनदारियों की जवाबदारी महाविद्यालय प्रबंधन की होगी।**

2. प्रिंसेस कॉलेज, धमतरी रोड, देवपुरी, रायपुर परिनियम 27 की कंडिका (9) के अनुसार सत्र 2017–18 से सम्बद्धता वापस लेते हुए महाविद्यालय बंद किये जाने की अनुशंसा की गई। समस्त देनदारियों की जवाबदारी महाविद्यालय प्रबंधन की होगी।

06. सत्र 2017–18 से महाविद्यालय/पाठ्यक्रम बंद किये जाने के लिये प्राप्त सूचना का विवरण

1. ए.व्ही.एस.प्रेसीडेंसी कॉलेज, माना, रायपुर
2. प्लेटिनम कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडिज, माना, रायपुर
3. नानकचंद रमेश अग्रवाल, कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, खरोरा, रायपुर
4. जयहिंद महाविद्यालय, महासमुंद

निर्णयः **1. ए.व्ही.एस.प्रेसीडेंसी कॉलेज, माना, रायपुर को बंद करने के संबंध में जानकारी अधूरी होने के कारण महाविद्यालय के आवेदन के आधार पर प्रथम वर्ष में सत्र 2017–18 से प्रवेश को शून्य किया गया एवं शासन से अनापत्ति पत्र प्राप्त करने के पश्चात् प्रकरण पुनः प्रस्तुत किये जाए।**

2. प्लेटिनम कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडिज, माना, रायपुर को बंद करने के संबंध में जानकारी अधूरी होने के कारण महाविद्यालय के आवेदन के आधार पर प्रथम वर्ष में सत्र 2017–18 से प्रवेश को शून्य किया गया एवं शासन से अनापत्ति पत्र प्राप्त करने के पश्चात् प्रकरण पुनः प्रस्तुत किये जाए।

3. नानकचंद रमेश अग्रवाल, कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, खरोरा, रायपुर को बंद करने के संबंध में जानकारी अधूरी होने के कारण महाविद्यालय के आवेदन के आधार पर प्रथम वर्ष में सत्र 2017–18 से प्रवेश को शून्य किया गया एवं शासन से अनापत्ति पत्र प्राप्त करने के पश्चात् प्रकरण पुनः प्रस्तुत किये जाए।

4. जयहिंद महाविद्यालय, महासमुंद में संचालित बी.कॉम. एवं बी.बी.ए. पाठ्यक्रम बंद करने के संबंध में जानकारी अधूरी होने के कारण महाविद्यालय के आवेदन के आधार पर प्रथम बर्ष में सत्र 2017–18 से प्रवेश को शून्य किया गया एवं शासन से अनापत्ति पत्र प्राप्त करने के पश्चात् प्रकरण पुनः प्रस्तुत किये जाए।

07. अस्थायी सम्बद्धता पर पुनर्विचार हेतु

1. स्वामी अजय गुरूदेव इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नालॉजी, खरोरा, रायपुर
2. दुर्गा महाविद्यालय, मौदहापारा, रायपुर

निर्णयः 1. स्वामी अजय गुरूदेव इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नालॉजी, खरोरा, रायपुर B.Sc.-III- Maths Group - (Physics, Maths, Chemistly)-40 Seat, B.Sc.- III - Bio-Group-(Chemistry, Botany, Zoology) -40 Seat, B.Com.- III -Compulsory Subject-40 Seat एवं B.Com.- III - Computer Application-40 Seat के लिये परिनियम 28 के अंतर्गत शिक्षकों की नियुक्ति पूर्ण होने के पश्चात् अस्थायी सम्बद्धता के संबंध में विचार किया जावेगा।

2. दुर्गा महाविद्यालय, मौदहापारा, रायपुर **B.B.A.-III, Seat-40** के लिये परिनियम 28 के अंतर्गत शिक्षकों की नियुक्ति पूर्ण होने के पश्चात् अस्थायी सम्बद्धता के संबंध में विचार किया जावेगा।

08. भारत के राजपत्र दिनांक 11 जुलाई, 2016 में प्रकाशित वि.वि. अनुदान अयोग द्वारा ए.पी.आई. स्कोर के लिये चतुर्थ संशोधन प्रस्तावित किया है, जिसके अनुसार IQAC Cell से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार वि.वि. के रेगुलेशन 134 के Apendix में आवश्यक संशोधन किया गया है की अनुशंसा पर विचार करना।

निर्णयः भारत के राजपत्र दिनांक 11 जुलाई, 2016 में प्रकाशित वि.वि. अनुदान अयोग द्वारा ए.पी.आई. स्कोर के लिये प्रस्तावित चतुर्थ संशोधन को वि.वि. के रेगुलेशन 134 के **Apendix** में **IQAC Cell** से प्राप्त आवश्यक संशोधन की अनुशंसा की गई।

09. सत्र 2017–18 की वार्षिक संबद्धता आदेश प्रदान करने हेतु महाविद्यालयों की सूची का अनुमोदन करना।

निर्णयः निम्नलिखित महाविद्यालयों को सत्रानुसार वार्षिक संबद्धता आदेश प्रदान करने हेतु अनुशंसा की गई :–

क्र.	शासकीय महाविद्यालय
1	शास. दू.ब. महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर
2	शास. महाविद्यालय पाण्डातराई, जिला–कबीरधाम (2014–15)
3	शास. दाऊ कल्याण सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बलौदाबाजार

	अशासकीय महाविद्यालय
1	काम्पटेक महाविद्यालय, सोरिद नगर, धमतरी (छ.ग.)
2	दिशा कालेज, रामनगर, कोटा रोड, रायपुर (छ.ग.)
3	एस.के.टी.डी. विधि महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
4	आदर्श महाविद्यालय, दतरेंगा, रायपुर
5	रामकृष्ण इंस्टीट्यूट आफ एजुकेशन, 94, सुंदर नगर, रायपुर (छ.ग.)
6	दुर्गा महाविद्यालय, मौदहापारा, रायपुर (छ.ग.)
7	महात्मा गाँधी महाविद्यालय स्टेशन रोड, रायपुर (छ.ग.)
8	गुरुकुल महिला महाविद्यालय, कालीबाड़ी रायपुर
9	पं. हरिशंकर शुक्ल स्मृति महाविद्यालय, कचना रोड, रायपुर
10	सी.आई.टी. बी.एड्. कालेज, भेलवाडीह, उपरवारा, अभनपुर, रायपुर (2015–16 एवं 2016–17)
11	सी.आई.टी. साइंस एंड कॉमर्स महाविद्यालय, भेलवाडीह, उपरवारा, अभनपुर, रायपुर (2015–16 एवं 2016–17)

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यवाही सम्पन्न हुई।

कुलपति
अध्यक्ष

कुलसचिव
सचिव

पृ. क्रमांक 4407/अका./वि.प.स्थायी समिति/2017 रायपुर, दिनांक: 04/07/2017

प्रतिलिपि :–

1. समस्त संकायाध्यक्षों को,
2. उ.कु.स. गोपनीय/परीक्षा,
3. वित्त नियंत्रक/अंकेक्षण,
4. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)

(18)

//कार्यालयीन टीप //

छ.ग.शासन, वित्त एवं योजना विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर के आदेश कमांक 268/एफ–2013–04–00416/वित्त/नियम/चार नया रायपुर दिनांक 13 जून, 2017 के अनुसार पुनरीक्षित वेतनमान प्राप्त कर रहे शिक्षकों /अधिकारियों / कर्मचारियों को दिनांक 01.01.2017 से 136 प्रतिशत के दर से महंगाई भत्ता देय है।

इस वृद्वि के फलस्वरूप विश्वविद्यालय पर वित्तीय वर्ष 2017–18 में लगभग रूपये 40.50 लाख (जुलाई 2017 से मार्च 2018 तक 09 महिनों का) तथा एरियर्स भुगतान में लगभग राशि रूपये 27.00 लाख (जनवरी 2017 से जून 2017 तक के छः माह का) अतिरिक्त व्यय भार संभावित है।

महंगाई भत्ते की संशोधित दर :–

अवधि जब से देय है	महंगाई भत्ते की दर का प्रतिशत
दिनांक 01.01.2017 (माह जनवरी , 2017 का वेतन जो माह फरवरी 2017 में देय है)	136 प्रतिशत

अतः जुलाई 2017 के वेतन में (जिसका भुगतान अगस्त 2017 में होगा) महंगाई भत्ता 132 प्रतिशत के स्थान पर 136 प्रतिशत जोड़े जाने की स्वीकृति पूर्व माननीय कार्यपषिद के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत् ।

21/6/17

वित्त नियंत्रक

वित्त नियंत्रक
पं. स. सु. वि. वि. रायपुर छ.ग.

19

वित्त निर्देश 25/2017

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक 268/एफ-2013-04-00416/वि/नि/चार नया रायपुर, दिनांक 13 जून, 2017

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त संभागायुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

विषय:-राज्य शासन के कर्मचारियों का पुनरीक्षित वेतनमान 2009 में दिनांक 01.01.2017 से महंगाई भत्ते की पुनरीक्षित दरें

राज्य शासन ने वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 82/एफ-2013-04-00416/वित्त/नियम/चार, दिनांक 22 फरवरी, 2017 द्वारा छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 में नियत वेतन संरचना के अंतर्गत वेतन प्राप्त करने वाले शासकीय सेवकों को दिनांक 01.07.2016 से 132 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता स्वीकृत किया है। शासन द्वारा उक्त महंगाई भत्ते की दर में निम्नानुसार संशोधन करने का निर्णय लिया गया है :-

अवधि जब से देय है	महंगाई भत्ते की दर का प्रतिशत
दिनांक 01-01-2017 (माह जनवरी, 2017 का वेतन जो माह फरवरी, 2017 में देय है)	136 प्रतिशत

(2) राज्य शासन यह भी निर्देशित करता है कि :-

1. बढ़े हुए महंगाई भत्ते की राशि नगद भुगतान की जावेगी।
2. महंगाई भत्ते की गणना मूल वेतन (वेतन बैंड में वेतन + ग्रेड वेतन) के आधार पर की जावेगी। इसमें विशेष वेतन, व्यक्तिगत वेतन शामिल नहीं होगा।

3. महंगाई भत्ते का कोई भी भाग मूलभूत नियम 9(21) के अंतर्गत वेतन नहीं माना जायेगा।
4. महंगाई भत्ते के कारण किये जाने वाले भुगतान में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हों तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपयों में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।
5. ये आदेश यू.जी.सी., ए.आई.सी.टी.ई. तथा कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी की सेवा के सदस्यों पर भी लागू होंगे।
6. इन आदेशों के अंतर्गत देय महंगाई भत्ते का भुगतान विभाग के चालू वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक न हो ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

13/06/2017

(एस.के. चक्रवर्ती)
संयुक्त सचिव

(21)

क्रमांक 269/एफ-2013-04-00416/वि/नि/चार नया रायपुर, दिनांक 13 जून, 2017

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, नया रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री (समस्त), छत्तीसगढ़, नया रायपुर
7. प्रधान महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव, मंत्रालय, नया रायपुर
9. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, नया रायपुर
10. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
11. राज्य सूचना आयुक्त, शास्त्री चौक, रायपुर
12. समस्त अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, नया रायपुर
13. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नया रायपुर
14. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नया रायपुर
15. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
16. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/इंद्रावती कोषालय, छत्तीसगढ़
17. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़
18. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर

\- को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु

19. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर को वित्त विभाग की वेबसाइट www.cgfinance.nic.in पर अपलोड करने हेतु

13/6/2017

(प्रेमा गुलाब एक्का)

अवर सचिव

22

//कार्यालयीन टीप //

छ.ग.शासन, वित्त एवं योजना विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर के आदेश कमांक 285/एफ–2013–04–00416/वित्त/नियम/चार नया रायपुर दिनांक 21 जून, 2017 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के पुनरीक्षित वेतनमान प्राप्त कर रहे पेंशनरों एवं 90 प्रतिशत प्रत्याशित पेंशन प्राप्त कर रहे कर्मचारियो को दिनांक 01.01.2017 से 136 प्रतिशत के दर से महंगाई भत्ता देय है। इस वृद्वि के फलस्वरूप विश्वविद्यालय पर वित्तीय वर्ष 2017–18 में लगभग रूपये 01.35 लाख (जुलाई 2017 से मार्च 2018 तक 09 महिनों का) तथा एरियर्स भुगतान में लगभग राशि रूपये 90.00 हजार (जनवरी 2017 से जून 2017 तक के छः माह का) अतिरिक्त व्यय भार संभावित है।

महंगाई भत्ते की संशोधित दर :–

अवधि जब से देय है	महंगाई भत्ते की दर का प्रतिशत
दिनांक 01.01.2017 (माह जनवरी , 2017 की पेंशन/परिवार पेंशन जो माह फरवरी 2017 में देय होगी)	पेंशन/परिवार पेंशन का 136 प्रतिशत

अतः छत्तीसगढ़ राज्य के पुनरीक्षित वेतनमान प्राप्त कर रहे पेंशनर एवं 90 प्रतिशत प्रत्याशित पेंशनरों को जुलाई 2017 के वेतन में (जिसका भुगतान अगस्त 2017 में होगा) महंगाई भत्ता 132 प्रतिशत के स्थान पर 136 प्रतिशत जोड़े जाने की स्वीकृति स्वीकृति पूर्व माननीय कार्यपषिद के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत् ।

28/6/17

वित्त नियंत्रक

वित्त नियंत्रक

पं. र. शु. वि. वि. रायपुर (छ.ग.)

(23)

वित्त निर्देश 28/2017

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक 285/एफ-2013-04-00416/वित्त/नियम/चार नया रायपुर, दिनांक 21 जून, 2017

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त संभागायुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

विषय :- छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनरों को पेंशन पर मंहगाई राहत स्वीकार करने के संबंध में

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 84/एफ 2013-04-00416/वित्त/नियम/चार, दिनांक 22 फरवरी, 2017 द्वारा राज्य शासन के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को मूल पेंशन/परिवार पेंशन पर दिनांक 01.07.2016 से 132 प्रतिशत की दर से मंहगाई राहत स्वीकृत की गई है।

राज्य शासन द्वारा अब निर्णय लिया गया है कि राज्य शासन के पेंशनर/परिवार पेंशनरों को निम्नानुसार दर से मंहगाई राहत स्वीकृत की जाये । वृद्ध पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी मंहगाई राहत देय होगी :-

अवधि जब से देय है	मंहगाई राहत की दर प्रतिमाह
दिनांक 01-01-2017 से (माह जनवरी, 2017 की पेंशन/परिवार पेंशन जो माह फरवरी, 2017 में देय होगी)	पेंशन/परिवार पेंशन का 136 प्रतिशत

2/ उपरोक्त मंहगाई राहत अधिवार्षिकी (Superannuation), सेवानिवृत्त (Retiring), असमर्थता (Invalid) तथा क्षतिपूर्ति (Compensation) पेंशन पर देय होगी । सेवा से पदच्युत या सेवा से हटाये गये कर्मचारियों को स्वीकार किये गये अनुकम्पा भत्ता (Compassionate Allowance) पर भी इस मंहगाई राहत की पात्रता होगी तथा परिवार पेंशन तथा असाधारण पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को भी उक्त मंहगाई राहत वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.बी.6/43/76/नियम-2/चार, दिनांक 5-10-76 के प्रतिबंधों के अधीन देय होगी । ऐसे मामलों में जहां पेंशन/परिवार पेंशन भोगी राज्य शासन या किसी

स्वशासी संस्था में नियुक्त/ पुनर्नियुक्त है, वहां पेंशन पर मंहगाई राहत की पात्रता नहीं होगी । कोई व्यक्ति यदि उसके पति/पत्नी की मृत्यु के समय सेवा में है और उसे अनुकंपा के आधार पर सेवा में नहीं रखा गया है तो पति/पत्नी की मृत्यु के कारण देय परिवार पेंशन पर उसे मंहगाई राहत की पात्रता होगी । यदि किसी व्यक्ति को उसके पति/पत्नी की मृत्यु के कारण अनुकंपा के आधार पर सेवा में रखा गया है तो ऐसे मामलों में परिवार पेंशन पर मंहगाई राहत की पात्रता नहीं होगी । इस संबंध में वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.बी.6/10/76/नियम-2/चार, दिनांक 27-7-76 सहपठित ज्ञापन एफ.बी. 6/10/77/नि -2/चार, दिनांक 2-5-77 एवं ज्ञापन क्रमांक 211/379/वित्त/नियम/चार/2007, दिनांक 24-7-2007 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

3/ ऐसे पेंशनर्स जिन्होंने अपनी पेंशन का एक भाग सारांशीकृत (Commute) कराया है, उन्हें मंहगाई राहत उनकी मूल पेंशन (सरांशीकरण के पूर्व की पेंशन) पर देय होगी ।

4/ यह आदेश राज्य शासन के ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी लागू होंगे, जिन्होंने उपक्रमों/स्वशासी संस्थाओं/मंडलों/निगमों आदि में संविलियन पर एक मुश्त राशि आहरित की है और जो वित्त विभाग के ज्ञाप दिनांक 144/97/वित्त/नियम/चार/2007, दिनांक 5-6-2007 के अन्तर्गत पेंशन के एक तिहाई हिस्से के प्रत्यावर्तन के पात्र हो गये है ।

5/ मंहगाई राहत के भुगतान पर होने वाले रूपये के अपूर्ण भाग को अगले रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा ।

6/ राज्य शासन के समस्त कोषालय अधिकारियों/उप कोषालय अधिकारियों/ पेंशन वितरणकर्ता अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वित्त विभाग के पृ.क्र. ई-4/1-83/नि-5/चार, दिनांक 29 जनवरी, 1983 के अनुसार छत्तीसगढ़ कोष संहिता भाग-1 के सहायक नियम 347 के संशोधित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन के सिविल पेंशनरों को उपरोक्त अनुसार स्वीकृत मंहगाई राहत का शीघ्र भुगतान करें । भुगतान उपरांत पूर्वानुसार महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राधिकार प्राप्त होने पर मंहगाई राहत की राशि का मिलान कर लिया जाये । यदि कोई विसंगति दृष्टिगोचर होती है तो उसका समायोजन आगामी माह के भुगतान में कर लिया जावे ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एस.के. चक्रवर्ती) 21/06/2017
संयुक्त सचिव

(25)

पृ.क्र. 286/एफ-2013-04-00416/वित्त/नियम/चार नया रायपुर, दिनांक 21 जून, 2017

प्रतिलिपि-

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, नया रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ, उच्च न्यायालय बोदरी, पोस्ट ऑफिस-हाई कोर्ट ब्रांच, बिलासपुर (छ0ग0) पिन कोड-495220
5. सचिव, लोक आयोग / छ.ग., लोक सेवा आयोग / मानवाधिकार आयोग / राज्य निर्वाचन आयोग / राज्य सूचना आयोग, छत्तीसगढ़ रायपुर
6. निज सचिव / निज सहायक, मंत्री, छत्तीसगढ़ नया रायपुर
7. महाधिवक्ता / उप महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़, बिलासपुर
8. प्रधान महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर को सूचनार्थ
9. मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव, मंत्रालय, नया रायपुर
10. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ नया रायपुर
11. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, छ0ग0, नया रायपुर
12. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली
13. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग स्थापना / अधीक्षण / अभिलेख / मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नया रायपुर
14. समस्त अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, नया रायपुर
15. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छ.ग.
16. समस्त कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़
17. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़
18. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी / पेंशनर्स संगठन एवं समस्त सदस्य पेंशनर कल्याण मंडल, छत्तीसगढ़
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर, छत्तीसगढ़
20. मुख्य लेखाधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक, गवर्नमेंट एण्ड बैंक एकाऊण्ट डिपार्टमेंटस, सी-7, बान्द्रा-कुर्ला काम्प्लेक्स, पोस्ट बैग नं. 8143, बान्द्रा (पूर्व) मुंबई 400051
21. समस्त मुख्य प्रबंधक/उप महाप्रबंधंक/जोनल मैनेजर/चीफ मैनेजर/सहायक मुख्य प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़
22. वित्त सचिव, गुजरात शासन, मंत्रालय, गांधीनगर, गुजरात 382010
23. वित्त सचिव, आन्ध्र प्रदेश शासन, मंत्रालय, हैदराबाद 500001
24. वित्त सचिव, असम शासन, मंत्रालय, शिलांग 793001
25. वित्त सचिव, बिहार शासन, मंत्रालय, पटना 800001
26. वित्त सचिव, झारखण्ड शासन, मंत्रालय, रांची 834002
27. वित्त सचिव, केरल शासन, मंत्रालय, तिरूवनन्तपुरम 695039

28. वित्त सचिव, तमिलनाडु शासन, मंत्रालय, चेन्नई 600018
29. वित्त सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 400020
30. वित्त सचिव, कर्नाटक शासन, मंत्रालय, बैंगलोर 560001
31. वित्त सचिव, उड़ीसा शासन, मंत्रालय, भुवनेश्वर 751001
32. वित्त सचिव, पंजाब शासन, मंत्रालय, चंडीगढ़ 160017
33. वित्त सचिव, हिमाचल प्रदेश शासन, मंत्रालय, शिमला 171003
34. वित्त सचिव, राजस्थान शासन, मंत्रालय, जयपुर 302001
35. वित्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, मंत्रालय, लखनऊ 226001
36. वित्त सचिव, पश्चिम बंगाल शासन, मंत्रालय, कोलकाता 700001
37. वित्त सचिव, जम्मू एवं कश्मीर शासन, मंत्रालय, श्रीनगर 190001
38. वित्त सचिव, मणिपुर शासन, मंत्रालय, इम्फाल 795001
39. वित्त सचिव, त्रिपुरा शासन, मंत्रालय, अगरतला 799001
40. वित्त सचिव, नागालैण्ड शासन, मंत्रालय, कोहिमा 797001
41 वित्त सचिव, मेघालय शासन, मंत्रालय, शिलॉग 793001
42 वित्त सचिव, मिजोरम शासन, मंत्रालय, एजवाल 796001
43. वित्त सचिव, सिक्किम शासन, मंत्रालय, गंगटोक 717101
44. वित्त सचिव, उत्तरांचल शासन, मंत्रालय, देहरादून 248001
45. वित्त सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल 462004
46. वित्त सचिव, तेलंगाना शासन, मंत्रालय, हैदराबाद 500001
47. वित्त सचिव, हरियाणा शासन, मंत्रालय, चंडीगढ़ 160017
48. वित्त सचिव, दिल्ली शासन, मंत्रालय, नई दिल्ली 110001
49. वित्त सचिव, गोवा दमन एवं दीव शासन, मंत्रालय पणजी, गोवा 403101
50. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) गुजरात, 5वीं मंजिल, सी-ब्लाक, लाल दरवाजा, अहमदाबाद 380001
51. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) गुजरात, राजकोट 360001
52. महालेखाकार-1 (लेखा एवं हक.) आन्ध्रप्रदेश, हैदराबाद 500463
53. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) आन्धप्रदेश, हैदराबाद 500463
54. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मेघालय, मिजोरम, अरूणाचल प्रदेश, शिलांग 793001
55. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मणिपुर, इम्फाल 795001
56. प्रधान महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) बिहार, बीरचंद पटेल मार्ग, पटना 800001
57. प्रधान महालेखाकार-1 (लेखा एवं हक.) झारखण्ड, डोरण्डा, पो. रांची 834002
58. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) केरल, पो. बाक्स नं. 5607, तिरूवनन्तपुरम 695039
59. महालेखाकार-1 (लेखा एवं हक.) तमिलनाडु, चेन्नई 600018
60. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) तमिलनाडु, चेन्नई 600018
61. महालेखाकार-1 (लेखा एवं हक.) महाराष्ट्र, 101 महर्षि कर्वे रोड़, मुंबई 400020

62. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) महाराष्ट्र, सिविल लाईन्स, नागपुर 440000
63. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) कर्नाटक, रेसीडेन्सी पार्क रोड़, बैंगलोर 560002
64. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) उड़ीसा, भुवनेश्वर 751001
65. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) पंजाब, चंड़ीगढ़ 160017
66. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हरियाणा, लेखा भवन, चंडीगढ़ 160047
67. वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हिमाचल प्रदेश, गोर्टन कंसल भवन शिमला 171003
68. महालेखाकार, (लेखा एवं हक.) राजस्थान, भगवानदास मार्ग जयपुर 302001
69. महालेखाकार-3 (लेखा एवं हक) उत्तरप्रदेश, लखनऊ 226001
70. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) उत्तरप्रदेश, इलाहाबाद 211001
71. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक) पश्चिम बंगाल, ट्रेजरी बिल्डिंग, कोलकाता 700001
72. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) जम्मू एवं कश्मीर, श्रीनगर 190001
73. महालेखाकार (लेखा एवं हक) त्रिपुरा, अगरतला 799001
74. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) नागालैण्ड, कोहिमा 797001
75. वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) सिक्किम, लाकार भवन, गंगटोक 717101
76. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) उत्तराखण्ड, देहरादून 248001
77. संचालक, लेखा (पेंशन शाखा) गोवा, दमन दीव, पोस्ट पणजी, 403101
78. महालेखागार (लेखा एवं हक.) मध्यप्रदेश ग्वालियर 474001
79. वेतन एवं लेखाधिकारी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप, पोर्टब्लेयर 744011
80. वेतन एवं लेखाधिकारी, तीस हजारी, दिल्ली 110006
81. मुख्य नियंत्रक एवं महालेखाकार, भारत सरकार, नई दिल्ली
82. नियंत्रक लेखा, विदेश मंत्रालय, केन्द्रीय सचिवालय, नई दिल्ली
83. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर को वित्त विभाग की वेबसाइट www.cgfinance.nic.in पर अपलोड करने हेतु

--------को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु

21/6/2017

(प्रेमा गुलाब एक्का)
अवर सचिव

(28)

GOVERNMENT OF CHHATTISGARH
FINANACE DEPARTMENT
MANTRALAYA, MAHANADI BHAVAN, NAYA RAIPUR

No.285/F-2013-04-00416/Fin./Rule/IV, Naya Raipur, Dated 21 June. 2017

To,

All Department of Government
The President of Board of Revenue, Bilaspur
All Commissioners of Divisions
All Heads of Department
All Collectors
Chhattisgarh.

Sub - Sanction of dearness relief on the Pension of the Pensioners of the State of Chhattisgarh.

The State Government had sanctioned 132 % dearness relief w.e.f. 01-07-2016 on pension/family pension to their pensioners/family pensioners vide Finance Department Memo No. 84/F-2013-04-00416/Fin/Rule/IV, dated 22 February, 2017. The State Government has now decided that the dearness relief admissible to pensioners should be sanctioned as given below. The additional pension payable to old pensioners shall also qualify for dearness relief.

Period	Rate of Dearness relief per month
w.e.f. 01-01-2017 (Pension/family pension for the month of January 2017 paid in February 2017)	136% of Pension/family pension

2. The above dearness relief shall be payable on the Superannuation, Retiring, Invalid and Compensation Pension. This dearness relief shall also be payable on the Compassionate Allowance sanctioned to the employees discharged or removed from service and the said dearness relief shall also be payable to persons receiving family pension and extra ordinary pension under the restrictions contained in the Finance Department's Memo No. F.B.6/43/76/R-II/IV, dated 5-10-76. The dearness relief on the pension/family pension shall not be payable in the cases where the pensioner/family pensioners are appointed/re-appointed under the State Government or autonomous institutions. This relief on family pension shall be payable in cases where a person at the time of the death of the spouse was in service and was not appointed on compassionate grounds. This relief on family pension shall not be payable in cases where a person on account of the death of the spouse has been

appointed on compassionate grounds. In this connection attention is invited to the provisions contained in Finance Department's Memo No. F.B.6/10/76/R-II/IV, dated 27-7-76 read with Memo No. F.B.6/10/77/R-II/IV, dated 2-5-77 and Memo No. 211/379/F/R/IV/2007, dated 24-7-2007.

3. Pensioners, who have commuted a part of their pension, shall be paid the dearness relief on their original pension (pension before commutation).

4. This order shall be applicable in respect of State Government employees who had drawn lump sum amount on absorption in PSU/Autonomous body/Board/Corporation etc and have become eligible to restoration of 1/3rd commuted portion of pension in terms of this Department's Memo No. 144/97/F/R/IV/2007, dated 05-06-2007.

5. Fraction of rupees of the amount to be paid as dearness relief shall be rounded off to the next rupee.

6. All Treasury Officers/Sub Treasury Officers/Pension Disbursing Officers are directed to make payment of the above sanctioned dearness relief to State Government Pensioners early, keeping in view the amended provisions of S.R.347 of the C.G.T.C. Volume-1, issued vide Finance Department's endorsement No. E-4/1/83/R-V/IV, dated 29th January, 1983. After payment of dearness relief the same may be got checked from the usual payment authority received from the Accountant General, Chhattisgarh. If some inaccuracy/discrepancy comes to the notice, the same may be adjusted in the payment on next month.

By order and in the name of the
Governor of Chhattisgarh

21/06/2011

(S.K. Chakraborty)
Joint Secretary

30

—: कार्यालयीन टीप :—

विश्वविद्यालय द्वारा केन्द्र सरकार की योजना "कर्मचारी सदस्यता अभियान — 2017" तहत 115 दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों का दिनांक 01.04.2009 से 31.12.2016 तक का 93 महिनों का ई0पी0एफ एवं ई0सी0.एस0 के प्रावधानो के अंतर्गत निर्धारित समय–सीमा 30/06/2017 होने के कारण नियोक्ता अंशदान की राशि रूपये रूपये 48,26,200.00 (रूपये अड़तालिस लाख छब्बीस हजार दो सौ मात्र) 12 प्रतिशत की दर से भुगतान 03/07/2017 के पूर्व ऑन लाईन ई0पी0एफ पोर्टल के माध्यम से जमा किया गया है।

उक्त राशि जमा न होने की स्थिति में ईपीएफ एवं ईसीएस के प्रावधानुसार निम्नलिखित परिणाम एवं अर्थदण्ड भुगतान किया जाना होता :—

1. कर्मचारी अंशदान (Employees Contribution) रूपये 48,26,200.00 , जोकि इस योजना के अन्तर्गत छूट/माफ किया गया है, देय हो जायेगा।
2. धारा 7Q के अन्तर्गत ब्याज 12% प्रतिवर्ष की दर से Employer contribution और Employee contribution पर देय होगा ।
3. धारा 14B के अन्तर्गत Penal Demages 25% प्रतिवर्ष की दर से Employer contribution और Employee contribution पर देय होगा ।

विश्वविद्यालय यदि समय सीमा के अंदर राशि जमा नहीं करने की स्थिति में देय राशि 48,26,200.00 के अतिरिक्त लगभग 3.00 करोड़ की राशि का भुगतान किया जाना पड़ता ।

अतः उपरोक्त प्रावधानो के अंतर्गत वि0वि0 के 115 दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों का दिनांक 01.04.2009 से 31.12.2016 तक का 93 महिनों के 12 प्रतिशत की दर से नियोक्ता अंशदान की राशि रूपये रूपये 48,26,200.00 (रूपये अड़तालिस लाख छब्बीस हजार दो सौ मात्र) का भुगतान उपरांत माननीय कार्यपरिषद के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत् ।

03/7/17

वित्त नियंत्रक
पं. र. शु. वि. वि. रायपुर छ.ग.)

31

माननीय कार्य परिषद् के अनुमोदन हेतु।

संक्षेपिका

DST-FIST-Level-I Anthropology हेतु प्राप्त अनुदान 33.00 लाख से विभिन्न उपकरण जिसका मूल्य रू. 7,90,623.00 है फर्म को भुगतान किये जाने हेतु माननीय कार्य परिषद् के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत हैं।

03/11/17

वित्त नियंत्रक

Finance Controller
Pt. R.S.S. UNIVERSITY
RAIPUR(C.G.)

32

Anthropology
DST-FIST
Pt. Ravishankar Shukla University,
Raipur (C.G.)

पृष्ठ क्रमांक 26

प्रभारी अधिकारी श्री Dr. Mitashree Mitra

प्रभारी लिपिक Arvind Patker

विषय :- DST-FIST Grant (आदेश क्रमांक No.SR/FST/LSI-588/2014(C) Date 08th December, 2015 रु.33.00) से उपकरण सामग्री का देयक भुगतान राशि Rs.7,90,623.00 लाख में से करने बाबत्।

सक्षम स्वीकृती उपरांत विश्वविद्यालय नियमानुसार टेंडर माध्यम से क्रय प्रक्रिया उपरांत Surana Enterprises, D-19 & 20, Shailendra Nagar, Raipur (CG) को निम्नलिखित Order दिए गए जिनका विवरण एवं INVOICE No निम्नानुसार है :-

(1) Order No.1280 Dated 20.03.2017 (Note Sheet No. 4-DPC & 10-CPC)
INVOICE No.305/16-17 Date 31.03.2017-Rs.14,427.00

(2) Order No.1281 Dated 20.03.2017 (Note Sheet No. 6-DPC & 10-CPC)
INVOICE No.306/16-17 Date 31.03.2017-Rs.1,61,445.00

(3) Order No.1282 Dated 20.03.2017 (Note Sheet No. 5-DPC & 10-CPC)
INVOICE No.307/16-17 Date 31.03.2017-Rs.14,427.00

(4) Order No.1283 Dated 20.03.2017 (Note Sheet No. 9-DPC & 10-CPC)
INVOICE No.308/16-17 Date 31.03.2017-Rs.14,427.00

(5) Order No.1311 Dated 28.03.2017 (Note Sheet No. 8-DPC & 10-CPC)
INVOICE No.01/17-18 Date 12.04.2017-Rs.5,85,897.00

संबंधित से उपकरण सही स्थिति में प्राप्त हो चुका है एवं इन उपकरणों का Installation भी हो चुका है। इन्हें विभागीय स्टाक रजिस्टर M-01 के पृष्ठ क्रमांक क्रमशः 1–184, 2–185, 3–186, 4–187, 5–188 में इन्द्राज किया जा चुका है।

415
5.06.17

DST-FIST Grant से कुल राशि Rs.7,90,623.00 Surana Enterprises को संलग्न बैंक डिटेल में भुगतान हेतु नस्ती प्रेषित।

(33)

कार्यालयीन टीप

विषय–सेमेस्टर (स्नातकोत्तर) एवं सेमेस्टर परीक्षा बी.एड./एम.एड. मई–जून 2017 हेतु केन्द्र अग्रिम राशि रुपये 14.40 लाख का अनुमोदन।

माननीय कार्यपरिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में माननीय कुलपति महोदय का अनुमोदन प्राप्त कर सेमेस्टर (स्नातकोत्तर) एवं सेमेस्टर परीक्षा बी.एड./एम. एड. सत्र मई–जून 2017 के सुचारु संचालन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किये गये 60 परीक्षा केन्द्रों को उनके नाम के सम्मुख दर्शाए गई राशि कुल रुपये 14.40 लाख **(अक्षरी रुपये चौदह लाख चालीस हजार मात्र)** के महाविद्यालयों बैंक खातों में स्थानांतरण/भुगतान किया गया है। (सूची संलग्न)

अतः उपरोक्तानुसार परीक्षा अग्रिम मद से राशि रुपये 14.40 लाख का अग्रिम मान्य करते हुये माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

23/6/17
Finance Controller
Pt. R.S.S. UNIVERSITY
RAIPUR (C.G.)

(34)

परीक्षा विभाग द्वारा जारी सेमेस्टर परीक्षा (स्नातकोत्तर) एवं सेमेस्टर परीक्षा बी. एड./एम.एड. पाठ्यक्रम सत्र 2016–17 (मई–जून) के लिए परीक्षा केन्द्रों की सूची

क्रं.	केंद्र कोड	परीक्षा केन्द्र का नाम	रजि.नं.9 पेज नं.	राशि रुपये	रिमार्क
01	105	शास. नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महा., जी.ई. रोड, रायपुर	06	20000.00	
02	107	शास. डॉ. राधा बाई नवीन कन्या महा. पुरानी बस्ती रायपुर	10	25000.00	
03	111	शास. शिक्षा महाविद्यालय, शंकरनगर, रायपुर	258	15000.00	
04	112	दुर्गा महाविद्यालय, के.के. रोड, रायपुर	12	70000.00	
05	115	महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गाँधी चौक, रायपुर	16	60000.00	
06	119	प्रगति महाविद्यालय, चौबे कॉलोनी, रायपुर	24	40000.00	
07	121	पं. हरिशंकर शुक्ल स्मृति महा., शंकरनगर, रायपुर	28	40000.00	
08	127	सेन्ट्रल कॉलेज ऑफ इंफर्मेशन टेक्नालॉजी, फाफाडीह, रायपुर	34	40000.00	
09	128	कला–वाणिज्य कन्या महा., देवेंद्रनगर, रायपुर	36	30000.00	
10	164	सत्य नारायण अग्रवाल शास. महाविद्यालय,कोहका (तिल्दा–नेवरा)	54	30000.00	
11	168	शास. बद्रीप्रसाद कला–वाणिज्य महा., आरंग	60	30000.00	
12	169	शासकीय काव्योपाध्याय हीरालाल महा., अभनपुर	62	30000.00	
13	170	नेताजी सुभाष महाविद्यालय, बेलभाठा, अभनपुर	64	20000.00	
14	201	शास. डी.बी.डी.के. महा., बलौदाबाजार	70	30000.00	
15	203	शासकीय जी.एन.ए. महाविद्यालय, भाटापारा	74	40000.00	
16	205	शासकीय राजीव गाँधी महाविद्यालय, सिमगा	76	20000.00	
17	209	शासकीय शहीद वीर नारायण सिंह महाविद्यालय, बिलाईगढ़	84	20000.00	
18	210	शासकीय स्व. दौलतराम शर्मा महा., कसडोल	86	30000.00	
19	251	शासकीय राजीव लोचन महाविद्यालय, राजिम	88	30000.00	
20	255	शासकीय वीर सुरेन्द्र साय महा, गरियाबंद	94	30000.00	
21	301	शास. महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातको. महा.,महासमुन्द	102	50000.00	
22	306	शासकीय खे.ल. कला/वाणिज्य महा0 बागबाहरा	108	20000.00	
23	307	शासकीय चन्द्रपाल डडसेना महा., पिथौरा	110	20000.00	
24	309	शास.स्व. श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह महाविद्यालय, सराईपाली	114	30000.00	
25	351	शासकीय स्व. छोटेलाल श्रीवास्तव पी0जी0 कालेज, धमतरी	118	40000.00	
26	361	शास. सुखराम नागे महा., सिहावा (नगरी)	122	25000.00	
27	365	संत गुरू घासीदास शासकीय पी0जी0 कालेज, कुरूद	128	40000.00	
दुर्ग विश्वविद्यालय,दुर्ग के क्षेत्राधिकार एवं संबद्ध महाविद्यालयों के लिए प्रथम/द्वितीय/चतुर्थ सेमेस्टर (एटीकेटी) एवं तृतीय सेमेस्टर (मुख्य/एटीकेटी/भूतपूर्व) परीक्षाओं की सेमेस्टर परीक्षा केन्द्र सूची :–					
28	401	शासकीय व्ही.एन.यादव तामस्कर स्वशासी महा., दुर्ग	132	20000.00	
29	402	शास. डॉ. वामन वासुदेव पाटणकर कन्या महा.,दुर्ग	134	20000.00	
30	403	जी.एस. आर्य कन्या महाविद्यालय, दुर्ग	136	20000.00	
31	404	सेठ आर.सी.एस. कला–वाणिज्य महा., दुर्ग	138	20000.00	
32	406	रूँगटा कॉलेज ऑफ साइंस एण्ड टेक्नालॉजी, दुर्ग	140	10000.00	
33	423	कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भिलाईनगर	142	10000.00	
34	428	श्री शंकराचार्य महाविद्यालय, जुनवानी, भिलाईनगर	146	20000.00	
35	434	भिलाई महिला महाविद्यालय, सेक्टर–9, भिलाईनगर	150	10000.00	
36	435	स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती महाविद्यालय, हुडको, भिलाई	152	10000.00	

37	441	सेंट थॉमस महाविद्यालय, भिलाईनगर	154	20000.00	
38	448	एम.जे.कॉलेज ऑफ इंफर्मेशन टेक्नालॉजी.कोहका–जुनवानी रोड, भिलाई	156	10000.00	
39	450	जी.डी. रूंगटा कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नालॉजी, भिलाई	158	10000.00	
40	461	शासकीय महाविद्यालय, भिलाई–3	164	20000.00	
41	463	शासकीय दानवीर तुलाराम महाविद्यालय, उतई	166	20000.00	
42	464	शासकीय चन्दूलाल चन्द्राकर कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, पाटन	168	20000.00	
43	468	शासकीय चन्दूलाल चंद्राकर महाविद्यालय, धमधा	174	15000.00	
44	501	शासकीय पं.ज.ला.ने. कला एवं वाणिज्य महा., बेमेतरा	176	20000.00	
45	502	शास. देवी प्रसाद चौबे महाविद्यालय, साजा	178	15000.00	
46	551	शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त महाविद्यालय, बालोद	186	20000.00	
47	552	शासकीय महाविद्यालय, अर्जुन्दा	188	15000.00	
48	562	शासकीय एन.सी.जे. महाविद्यालय, दल्लीराजहरा	202	20000.00	
49	564	नवीन शासकीय महाविद्यालय, खेरथा , जिला–बालोद	204	20000.00	
50	601	आचार्य पंथ श्री गृंधमुनि नाम साहेब शास. महा0 कवर्धा	210	20000.00	
51	605	स्व. श्री डी.पी. चौबे शास. महाविद्यालय, गण्डई	214	20000.00	
52	651	शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय, राजनांदगॉव	226	20000.00	
53	655	शासकीय शिवनाथ विज्ञान महाविद्यालय, राजनांदगॉव	228	10000.00	
54	657	शासकीय कमलादेवी महिला महा., राजनांदगॉव	230	20000.00	
55	665	शासकीय लालचक्रधर शाह महा., अम्बागढ़ चौकी	232	20000.00	
56	668	शासकीय उपाधि महाविद्यालय, डोंगरगॉव	238	20000.00	
57	669	शासकीय पं.ज.ला.ने. महा., डोंगरगढ़	240	20000.00	
58	670	शासकीय रानी अवंति बाई लोधी महाविद्यालय, घुमका	242	15000.00	
59	671	शासकीय रानी रश्मि देवी सिंह महा., खैरागढ़	244	20000.00	
60	673	शासकीय लाल श्याम शाह महाविद्यालय, मानपुर (33)	248	15000.00	
कुल राशि रुपये				14,40000.00	

25.5.17

25/5/17

(36)

कार्य परिषद् मे रखे जाने हेतु संक्षेपिका

विषयः– सेमेस्टर परीक्षा 2016 के डिजीटल मूल्यॉकन कार्य देयक 9,14,,191=00 स्वीकृति हेतु ।

वि0वि0 द्वारा दिनॉक 26–12–2016 से बीएड, एमएड एवं बीपीएड के सेमेस्टर परीक्षा का आयोजन किया गया था। उक्त परीक्षा के उत्तर पुस्तिका के डिजीटल मूल्यॉकन कार्य हेतु रू0 55=00 (पचपन मात्र) प्रति उत्तर पुस्तिका की दर से CHHATTISGARH INDUSTRIAL AND TECHNICAL CONSULTANCY CENTRE[H.No.-3 Sahakari Marg No.-3 Chintaharan Hanumaan Mandir, Choubey Colony,Raipur GC.] से अनुबंध किया गया है ।

उक्त फर्म द्वारा देयक क्र0–808 दिनॉक 30–3–2017 के द्वारा रू0 9,14,191=00(नौ लाख चौदह हजार एक सौ इनकान्बे) मात्र भुगतान हेतु प्रस्तुत किया गया है। उक्त देयक गोपनीय विभाग से प्रमाणित कराया गया है।

गोपनीय विभाग द्वारा कुल देयक का 70 प्रतिशत राशि भुगतान किये जाने हेतु अनुशंसा किया गया है। अतः गोपनीय विभाग द्वारा किये गये अनुशंसा के संदर्भ मे कुल देयक रू0 9,14,191=00 का 70 प्रतिशत राशि रू0 6,39,934=00(छैः लाख उन्चालीस हजार नौ सौ चौंतीस मात्र) भुगतान करने के लिये स्वीकृति हेतु कार्य परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है ।

26-6-17

(37)

कार्यपरिषद में रखे जाने हेतु संक्षेपिका

विषय :— कोरी उत्तर पुस्तिका मुद्रण कराने का देयक रू0 92,15,250=00 भुगतान स्वीकृति हेतु ।

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दि0 11—11—.2017 के विषय क्र0 06 में हुए स्वीकृति अनुसार छत्तीसगढ़ संवाद रायपुर को वर्ष 2017 के वार्षिक एवं पूरक परीक्षाओं के लिए निम्नानुसार उत्तर पुस्तिका मुद्रित कर विश्वविद्यालय में आपूर्ति करने हेतु पत्र क्रमांक— 12/विकास/2017 दिनांक 24-01-.2017 के द्वारा आदेशित किया गया था ।

क्र0	उ0पु0 का विवरण	विवरण			
		पेपर साइज़	पुस्तिका की पृष्ठ संख्या	पेपर की गुणवत्ता	मुद्रण संख्या
01.	मुख्य उत्तर पुस्तिका	9"X11"	24 पृष्ठ	80 GSM मैपलिथो पेपर, एक कलर में (कव्हर एवं कमांक सहित)	तेरह लाख पचास हजार मात्र
02.	पूरक उत्तर पुस्तिका	9"X11"	16 पृष्ठ	80 GSM मैपलिथो पेपर, एक कलर में (कव्हर एवं कमांक सहित)	छैः लाख मात्र
03.	मुख्य उत्तर पुस्तिका की नंबरिंग T– 00,00,001 से T – 13,50,000 तक . पूरक उत्तर पुस्तिका की नंबरिंग T– 00,00,001 से T – 6, 00,000 तक .				

छ0ग0 संवाद द्वारा उपरोक्त उत्तर पुस्तिका वि0वि0 प्रेस मे आपूर्ति करने के उपरान्त देयक क्र0—पी—84 दिनॉक 23—06—2017 के द्वारा रू0 92,15,250=00 (बियान्बे लाख पंद्रह हजार दो सौ पचास रू0)मात्र भुगतान हेतु प्रस्तुत किया गया है ।

अतः छ0ग0 संवाद को भुगतान करने के लिये रू0 92,15,250=00 (बियान्बे लाख पंद्रह हजार दो सौ पचास रू0)मात्र स्वीकृति हेतुं कार्य परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है ।

29-6-17

My Document/ E.C/Dev./19

प्रति,

(38)

कुल सचिव

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वि. रायपुर (छ.ग.)

विषय :- B.A. एवं M.A. की अंकसूची को सरेन्डर करने बावत।

महोदय जी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मैं रिखी लाल साहू, पिता- मानसिंह साहू, माता- श्रीमती सुखमा बाई साहू है मैं पं. रविशंकर वि.वि. रायपुर से ① B.A. प्रथम वर्ष रोल नं. 25629 सन् 2001 ② B.A. द्वितीय वर्ष 2002 रोल नं. 54302 ③ B.A. अंतिम वर्ष 2003 रोल नं. 314347 उत्तीर्ण किया हूँ।

इसी प्रकार M.A. (राजनीति विज्ञान) पूर्व सन् 2004 रोल नं. 3004891 M.A. अंतिम सन् 2005 रोल नं. 4504181 से उत्तीर्ण किया हूँ।

चूंकि मैं 12वी गणित विषय के साथ सन् 2000 मे उत्तीर्ण किया हूँ। और वर्तमान में शिक्षा विभाग में सहायक शिक्षक (पं.) के पद पर 04-07-2008 से पदस्थ हूँ। चूंकि मेरा नियुक्ति गणित संकाय में हुआ है अतः मैंने योग्यता सुधार हेतु विभागीय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षाअधिकारी एवं जनपद पंचायत सिमगा द्वारा परीक्षा में सम्मलित होने की अनुमति लेकर मैट्स विश्वविद्यालय मुक्त एवं दूरवर्ती कार्यक्रम रायपुर (छ.ग.) से B.Sc. (गणित) सत्र 2015-16 से उत्तीर्ण कर लिया हूँ।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि मेरा B.A. एवं M.A की अंकसूची को सरेन्डर करने की कृपा करेगें।

धन्यवाद

Sahu

प्रार्थी

सलंग्न प्रति

① B.A. (I, II, III) की मूल अंकसूची

② M.A. (पूर्व / अंतिम) की मूल अंकसूची

③ B.Sc. (गणित) की छायाप्रति (अंतिम वर्ष)

रिखी लाल साहू
सहायक शिक्षक (पं.)
शास. प्राथ. शाला नवापारा
वि. खं. सिमगा, जिला- बलौदा-बाजार भाटापारा।
मो. नं. 98265 90843

प्रति, (39)

कुलसचिव
पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय
रायपुर (छ० ग०)

विषय :- बी० ए० एवं एम० ए० की अंकसूची को सरेन्डर करने बावत् ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत उल्लेख है कि मैं मनहरण लाल ध्रुव पिता स्व० श्री बाहरन राम ध्रुव, माता श्रीमती खेदिया बाई ध्रुव, मैंने पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से (1) बी० ए० प्रथम वर्ष रोल नं. 9121 सत्र 1999 में उत्तीर्ण किया, (2) बी० ए० द्वितीय वर्ष रोल नं. 43491 सत्र 2000 में उत्तीर्ण किया, (3) बी० ए० अंतिम वर्ष रोल नं. 73375 सत्र 2001 में उत्तीर्ण किया, (4) एम० ए० पूर्व अर्थशास्त्र रोल नं. 011118 सत्र 2002 में उत्तीर्ण किया, (5) एम० ए० अंतिम अर्थशास्त्र रोल नं. 4402436 सत्र 2004 में उत्तीर्ण किया, (6) एम० ए० पूर्व संस्कृत रोल नं. 0502989 सत्र 2010 में उत्तीर्ण किया, (7) एम० ए० अंतिम संस्कृत रोल नं. 534120 सत्र 2011 में उत्तीर्ण किया।

बी० ए० (I, II, III) वर्ष एवं एम० ए० पूर्व अर्थशास्त्र की परीक्षा नियमित छात्र के रूप में एवं एम० ए० अंतिम अर्थशास्त्र, एम० ए० (पूर्व अंतिम) संस्कृत की परीक्षा स्वाध्यायी छात्र के रूप में शास० गजानंद अग्रवाल महाविद्यालय भाटापारा से उत्तीर्ण किया।

चूंकि मैंने 12वी की परीक्षा (कला संकाय) से सत्र 1998 में उत्तीर्ण किया और वर्तमान में शिक्षा विभाग के सहा० शि० पं० के पद पर वर्ष 2005 से कार्यरत हूँ। चूंकि मेरी नियुक्ति कला संकाय के अन्तर्गत हुआ है अत: मैंने योग्यता सुधार हेतु अपने विभागीय कार्यालय (विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी एवं जनपद पंचायत सिमगा) द्वारा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति लेकर मैट्स विश्वविद्यालय मुक्त एवं दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम रायपुर (छ० ग०) से बी० ए० अंतिम वर्ष (अंग्रेजी साहित्य) से सत्र 2015 में उत्तीर्ण किया।

अत: महोदय जी से निवेदन है कि मेरे बी०ए० (प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष) की एम० ए० अर्थशास्त्र, संस्कृत पूर्व, अंतिम वर्ष की योग्यता को सरेन्डर करने की कृपा करें।

धन्यवाद

संलग्न सूची :-
(1) बी० ए० प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष की ओरिजनल अंकसूची
(2) एम० ए० अर्थशास्त्र, संस्कृत (पूर्व अंतिम) की ओरिजनल अंकसूची

M. [signature]
प्रार्थी
मनहरण लाल ध्रुव
मो० नं० 9926685718
पता- ग्राम- लावर, पो० हथबंद, तहसील- सिमगा
जिला- बलौदाबाजार- भाटापारा (छ० ग०)

सुनवाई 17/1/15
RK
18.5.17

(40)

कार्यपरिषद् में रखे जाने हेतु संक्षेपिका

विषय : केन्द्रीय क्रय समिति में सदस्य मनोनीत करने हेतु।

कर्यपरिषद् की बैठक दिनांक 12–.12–.2014 के विषय क्र0–11 पर हुए स्वीकृति के संदर्भ मे कुलपति जी द्वारा कार्य परिषद् की ओर से केन्द्रीय क्रय समिति में डॉ0 एस0के0 सिह, सांख्यिकी अध्ययन शाला सदस्य मनोनीत किया गया था। विनियम 108 के प्रावधानुसार केन्द्रीय क्रय समिति में निम्नानुसार सदस्य मनोनयन किये जाने का प्रावधान है–

क्र0	केन्द्रीय क्रय समिति के सदस्य
1	कुलसचिव
2	कार्यपरिषद् के द्वारा मनोनीत सदस्य
3	वरिष्ठ प्राध्यापक
4	वित्ताधिकारी या उप कुलसचिव/सहायक कुलसचिव वित्त
5	उप कुलसचिव/सहायक कुलसचिव विकास एवं भंण्डार
6	संबंधित विभागाध्यक्ष

डॉ0 एस0के0 सिह, सांख्यिकी अध्ययन शाला का कार्यकाल केन्द्रीय क्रय समिति में 02 वर्ष से अधिक होने के कारण उनके स्थान पर कार्यपरिषद् की ओर से केन्द्रीय क्रय समिति में सदस्य मनोनीत किये जाने हेतु कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

26-6-17

(41)

पं0 रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ0ग0)

क्रमांक 951 /के0क्र0स0/विकास/2014 रायपुर, दिनांक 26.12.2014

।। अधिसूचना ।।

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 12.12.2014 में अध्यक्ष की अनुमति से विषय कमांक 11 में लिए गए निर्णयानुसार कार्यपरिषद् की ओर से केन्द्रीय क्रय समिति में डॉ0 एस0के0 सिंह (सांख्यिकी अध्ययनशाला) को अध्यक्ष के रूप में एवं डॉ0 मिताश्री मित्रा (मानवविज्ञान अध्ययनशाला) को सदस्य के रूप में मनोनीत किये जाने के फलस्वरूप केन्द्रीय क्रय समिति का निम्नानुसार पुनर्गठन किया जाता है :—

01. डॉ0 एस0के0 सिंह, प्राध्यपक, सांख्यिकी अध्ययनशाला (अध्यक्ष),
02. डॉ0 मिताश्री मित्रा, प्राध्यपक, मानवविज्ञान अध्ययनशाला, (मनोतीत सदस्य),
03. कुलसचिव, पं0 रविशंकर शुक्ल वि0वि0, रायपुर (सदस्य),
04. वित्त नियंत्रक/उपकुलसचिव, वित्त/सहायक कुलसचिव वित्त, पदेन सदस्य,
05. उपकुलसचिव/सहायक कुलसचिव, विकास विभाग, पदेन सदस्य,
06. संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष, (आमंत्रित सदस्य के रूप में)

उक्त गठित समिति का कार्यकाल आगामी आदेश तक रहेगा ।

आदेशनुसार,

कुलसचिव

पृष्ठा0 क0 952 /के0क0स0/विकास/2014 रायपुर, दिनांक 26.12.2014

प्रतिलिपि :—

01. संबंधित सदस्यों को,
02. डॉ0 गौरीशंकर, प्राध्यपक, सांख्यिकी अ0शा0
03. डॉ0 एम0 डब्ल्यू0 वाई0 खान, भूविज्ञान अ0शा0
04. समस्त विभागाध्यक्ष/विभागीय अधिकारी को सूचनार्थ,
05. कुलपतिजी के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं0र0वि0वि0 को सादर सूचनार्थ अग्रेषितार्थ ।

उपकुलसचिव (विकास)

MyDocument/yogesh latter/Dev.132

(42)

कार्यपरिषद् में रखे जाने हेतु संक्षेपिका

विषय : केन्द्रीय अपलेखन समिति के पुर्नगठन हेतु।

वि0वि0 द्वारा निर्मित विनियम क्र0–108 के भाग–8 क्रय एवं विक्रय नियम के (1) मे केन्द्रीय अपलेखन समिति का गठन किये जाने हेतु प्रावधान किया गया है, जिसके अनुसार केन्द्रीय अपलेखन समिति के निम्नानुसार सदस्य होंगे :–

1/ कुलसचिव
2/ कार्य परिषद् द्वारा मनोनीत सदस्य
3/ वरिष्ठ प्राध्यापक
4/ उप कुलसचिव
5/ अपलेखन की जाने वाली वस्तु से संबंधित तकनीकी जानकारी रखने वाले विशेषज्ञ
6/ जिलाध्यक्ष द्वारा मनोनीत सदस्य

वर्तमान मे निम्नानुसार सदस्य है :–

1/ कुलसचिव की ओर से डॉ0 जे0एल0 गंगवानी, उप कुलसचिव (प्रशा0)
2/ कार्य परिषद् द्वारा मनोनीत सदस्य– प्रो0 एस0जे0 केकरे
3/ वरिष्ठ प्राध्यापक–डॉ0 बी0के0 शर्मा
4/ उप कुलसचिव– डॉ0 आर0के0 अग्रवाल, उप कुलसचिव (अका0)
5/ अपलेखन की जाने वाली वस्तु से संबंधित तकनीकी जानकारी रखने वाले विशेषज्ञ(श्री सुनीत कुमार उपाध्याय, इंचार्ज, वि0वि0 प्रेस)
6/ जिलाध्यक्ष द्वारा मनोनीत सदस्य–श्री डी0सी0सिंह, एस0डी0ओ0, (पीडब्ल्यूडी)

केन्द्रीय अपलेखन समिति के पुर्नगठन हेतु कार्य परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है ।

28-6-17

(43)

कार्य परिषद् मे रखे जाने हेतु संक्षेपिका

विषयः—02 नग माल वाहक वाहन क्रय करने हेतु।

वि0वि0 मे उपलब्ध पुराने वाहन 02 नग को निविदा सूचना प्रकाशित कर विक्रय किया गया है । उक्त वाहन के स्थान पर 02 नग वाहन शासकीय दर पर क्रय करने हेतु निम्नलिखित फर्मो का पत्र जारी किया गया थाः—

1/ जायका आटो मोबाइल्स, अधिकृत डिलर टाटा मोटर्स, रायपुर ।

2/ सिटी व्हीलस, अधिकृत डिलर अशोक लिलैड, टाटीबंध, रायपुर ।

सिटी व्हीलस, अधिकृत डिलर अशोक लिलैड, टाटीबंध, रायपुर द्वारा पत्र प्रव्तुत कर सूचित किया है कि डीजीएसएंडडी दर पर वाहन उपलब्ध नही है ।

वाहन दोस्त एल0एस0 बीएस फोर मॉडल पटटे् वाला पावर स्टेरिंग जिसका मूल्य ऑन रोड़ रू0 6,78,292=00(छैः लाख अट्हत्तर हजार दो सौ बियान्बे रू0)मात्र है पत्र मे उल्लेख किया है ।

अतः उक्त वाहन 02 नग क्रय करने के लिये प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है ।

26-6-17

Pragati College

• COMMERCE • COMPUTERS • COMMUNICATION • EDUCATION • MANAGEMENT

Central Avenue, Choubey Colony, Raipur (C.G.)
Ph.: 0771-2255911/22, Fax : 0771-2255933
E-mail : info@pragaticollege.com Website : www.pragaticollege.com

Letter No. PCR/280 /04/2017

Date: 29/04/2017

प्रति,

उपकुलसचिव (अकादमिक)
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
रायपुर (छ.ग.)

विषयः— परिनियम–28 के तहत नियुक्त प्राचार्य डॉ. श्रुति झा द्वारा पद त्याग की सूचना बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयानुसार कॉलेज मे धारा 28 के तहत् नियुक्त प्राचार्य डॉ. श्रुति झा का पी एस सी में चयन हो गया है अतः उन्होंनें अपने पद से दिनांक 28/03/2017 को कार्यमुक्त होने हेतु त्याग पत्र दे दिया था जिसे कालेज प्रबंधन द्वारा स्वीकृत कर लिया गया है।

सूचनार्थ आपकी ओर सादर प्रेषित है।

धन्यवाद

भवदीया

उप–प्राचार्या
प्रगति कॉलेज, रायपुर
Vice Principal
Pragati College
Central Avenue, Choubey Colony
RAIPUR (C.G.)

(45)

दुर्गा महाविद्यालय, रायपुर के प्रकरण पर विचार करनाः–

दुर्गा महाविद्यालय, रायपुर ने अपने पत्र कमांक 29/184/17 दिनांक 01.04.2017 के माध्यम से निम्नलिखित संदर्भित पत्रों का हवाला देते हुए विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी मांगी हैः–

1 महाविद्यालयीन पत्र कमांक 12/2346/09 दिनांक 19.01.2009
2 महाविद्यालयीन पत्र कमांक 12/2568/13 दिनांक 07.06.2013
3 महाविद्यालयीन पत्र कमांक 29/4371/15 दिनांक 29.04.2015
4 महाविद्यालयीन पत्र कमांक 29/4784/15 दिनांक 27.11.2015
5 महाविद्यालयीन पत्र कमांक 29/4837/15 दिनांक 26.12.2015
6 महाविद्यालयीन पत्र कमांक 12/4844/15 दिनांक 30.12.2015
7 महाविद्यालयीन पत्र कमांक 29/4997/16 दिनांक 04.04.2016

उपरोक्त पत्र के संदर्भ में महाविद्यालय द्वारा छ.ग.अशासकीय महाविद्यालय अधिनियम 2006 का उद्धरण करते हुए अभी तक नियुक्ति नहीं की है । जबकि–

महाविद्यालय के विभिन्न समस्याओं पर कार्यपरिषद् के द्वारा गठित समिति के द्वारा भी महाविद्यालय में प्राचार्य एवं शिक्षकों की कमी को संज्ञान में लेते हुए परिनियम 28 के अंतर्गत नियुक्ति हेतु दिनांक 13.02.2017 को अनुशंसा की गई जिसे कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 16.2.2017 में इसे अनुमोदित किया ।

तत्पश्चात् कुलपति जी की शासी निकाय एवं महाविद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों से दिनांक 22.02.2017 को हुई चर्चा में सदस्यों ने महाविद्यालय में विभिन्न समस्याओं के निराकरण करने तथा महाविद्यालय के रिक्त पदों को भरे नहीं जाने जैसी समस्याओं के शीघ्र कार्यवाही करने तथा विश्वविद्यालय को अवगत कराने आश्वासन दिया तथा निर्णय लिया गया कि–

"दुर्गा महाविद्यालय के द्वारा उपरोक्त बिंदुओं पर त्वरित कार्यवाही नहीं करने की स्थिति में महाविद्यालय के विरूद्ध विश्वविद्यालय के द्वारा कार्यवाही की जाएगी जिसके लिये महाविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार होगा । प्रतिनिधियों ने समस्याओं का शीघ्र कार्यवाही करने का आवश्वासन दिया तथा त्रुटियों के संबंध में खेद व्यक्त किया ।"

दुर्गा महाविद्यालय ने अपने पत्र कमांक 29/162/17 दिनांक 22.03.2017 के द्वारा शासी निकाय की बैठक दिनांक 30.03.2017 तथा प्रबंध समिति की बैठक दिनांक 28.03.2017 को आयोजित करने सूचना दी ।

विश्वविद्यालय द्वारा पुनः प्रबंध समिति के सदस्यों प्राचार्य एवं कुलपतिजी के साथ दिनांक 17.05.2017 को बैठक आयोजित किया ।

इस बैठक में महाविद्यालय के सिर्फ प्राचार्य उपस्थित हुए । प्रबंध समिति के सदस्यों ने अपनी अनुपस्थिति हेतु किसी तरह की सूचना नहीं दी है । और न ही आज तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुआ है । जिसके कारण चर्चा नहीं हो सकी ।

(46)

महाविद्यालय के विभिन्न समस्याओं पर कार्यपरिषद् के द्वारा गठित समिति के द्वारा भी महाविद्यालय में प्राचार्य एवं शिक्षकों की कमी को संज्ञान में लेते हुए परिनियम 28 के अंतर्गत कार्या. आयुक्त उच्च शिक्षा के पत्र क्रमांक 346 दिनांक 24.09.2014 तथा छ.ग. अशासकीय शिक्षण संस्था (अन्य कर्मचारियों के वेतन संदाय) संशोधन अध्यादेश क्र. 2 सन् 2000 की धारा 6 एवं स्थापित उपधारा 5(1) से 5(क),(ख), (ग) के अनुसार अशासकीय महाविद्यालय में रिक्त होने वाले पद समाप्त माने जायेंगे।

चूँकि दुर्गा महाविद्यालय में अभी प्राचार्य का पद रिक्त है। वहां प्रभारी प्राचार्य कार्यरत है अतः उक्त पद शासन के निर्देशानुसार अनुदानित पद नहीं है। ऐसी स्थिती में The Chhattsgarh Non Govt. Colleges & institutions in Higher Education (Establishment and Regulation) Act 2006 धारा 27 के तहत प्राचार्य की नियुक्ति संस्था को स्वयं अपने स्रोत से करनी चाहिये तब शासन से अनुमति की आवश्यकता नहीं है। अतः उपरोक्त परिस्थिती में दुर्गा महाविद्यालय के प्राचार्य नियुक्ति की अनुमति बाबत् अनुरोध राज्य शासन को अग्रेषित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

परन्तु विगत दस वर्षों से महाविद्यालय के प्रबंधन को परिनियम 28 के तहत प्राचार्य एवं अन्य शैक्षणिक पदों की भर्ती हेतु निर्देशित किया जाता रहा है। परन्तु उनके द्वारा वि.वि. के निर्देशों का लगातार अनदेखी की जाती रही है। प्राचर्य एवं शैक्षणिक पदों की पूर्ति नहीं होने के कारण महाविद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता लगातार गिरती जा रही है। जो कि परिनियम 28 के तहत सम्बद्धता दिये जाने के शर्तों का भी उल्लंघन है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर कंडिका .....के अनुसार अनुदानित पद रिक्त होने के कारण समाप्त माने गए है । इसलिए इन पदों पर The Chhattsgarh Non Govt. Colleges & institutions in Higher Education (Establishment and Regulation) Act 2006 धारा 27 की कंडिका 2 के अनुसार नियुक्ति करने पर शासन से अनुमति से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है । और न ही ऐसे प्रकरणों को विश्वविद्यालय को राज्यशासन को अग्रेषित करने की आवश्यकता है ।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर दुर्गा महाविद्यालय में परिनियम 28 के अंतर्गत प्राचार्य एवं अन्य शिक्षकीय पदों की पूर्ति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत ।

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

विषयः- डॉ. दिलीप तिर्की, सहायक संचालक, शारीरिक शिक्षा की धारणाधिकार समाप्त किये जाने के संबंध में।

डॉ. दिलीप तिर्की, सहायक संचालक, शारीरिक शिक्षा को लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर पुनर्नियुक्ति होने के फलस्वरूप पदभार ग्रहण करने हेतु दिनांक 15.01.2016 से कार्यमुक्त करते हुये इन्हें कार्यमुक्त तिथि से 02 वर्ष का धारणाधिकार स्वीकृत किया गया था।

डॉ. दिलीप तिर्की, सहायक संचालक, शारीरिक शिक्षा वर्तमान में असिस्टेन्ट प्रोफेसर, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर में असिस्टेन्ट प्रोफेसर के पद पर स्थाई हो जाने का उल्लेख कर दिनांक 19.05.2017 से तकनीकी त्यागपत्र स्वीकृत किये जाने का निवेदन किये है।

अतः डॉ. दिलीप तिर्की, सहायक संचालक, शारीरिक शिक्षा को प्राप्त धारणाधिकार दिनांक 19.05.2017 से समाप्त किये जाने हेतु प्रकरण कार्यपरिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

विषय :- <u>सुश्री माण्डवी साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रबंध संस्थान के स्थायीकरण के संबंध में।</u>

माननीय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 22.05.2017 के विषय क्रमांक 09 पर हुये निर्णय अनुसार, सुश्री माण्डवी साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर की स्थायीकरण प्रकरण के संबंध में परीक्षणोंपरान्त विवरण निम्नानुसार है :-

1. विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक 6141/स्था./सा.प्रशा./12 दिनांक 08.11.2012 के द्वारा सुश्री माण्डवी साहू की नियुक्ति असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रबंध संस्थान के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में की गयी है।
2. उनकी **पदभार ग्रहण तिथि 20.11.2012 के आधार पर उनकी दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि दिनांक 20.11.2014 को पूर्ण हो चुकी है।**
3. सुश्री माण्डवी साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर के सत्र 2012-13 एवं 2013-14 की स्व-मूल्यांकन प्रतिवेदन संतोषप्रद नही पाये जाने के कारण माननीय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 02.02.2015 के विषय क्रमांक 06 में लिये गये निर्णयानुसार इनकी परिवीक्षा अवधि 01 वर्ष के लिये बढ़ायी गयी थी।
4. किन्तु माननीय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 30.07.2016 के पूरक विषय क्रमांक 07 में यह निर्णय लिया गया था, कि- **"सुश्री माण्डवी साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रबंध संस्थान के प्रकरण पर शैक्षणिक कार्यो के प्रति विमुखता के कारण दिनांक 21.11.2014 से एक वर्ष के लिये परिवीक्षा अवधि बढ़ायी गई थी। उसके बाद अधिकांश अवधि में वे अवकाश पर रहीं। अतः उनके कार्य के संबंध में आकलन किया जाना संभव नहीं है। अतएव उनकी परिवीक्षा अवधि पुनः दिनांक 21.11.2015 से एक वर्ष वृद्धि की जावे।" एवं यह अवधि भी दिनांक 20.11.2016 को पूर्ण हो चुकी है।**
5. सुश्री माण्डवी साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रबंध संस्थान के 21.11.2015 से एक वर्ष की वृद्धि की गयी परिवीक्षा अवधि में दिनांक 16.06.2015 से 03.08.2015 तक 49 दिन तक अवैतनिक अवकाश एवं दिनांक 11.01.2016 से 08.07.2016 तक 180 दिन प्रसूती अवकाश पर रही है।
6. सुश्री माण्डवी साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रबंध संस्थान के वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 के स्व-मूल्यांकन प्रतिवेदन जो अध्यक्ष, प्रबंध संस्थान द्वारा अग्रेषित है, जिसमें किसी प्रकार का प्रतिकूल टीप्पणी नही है।
7. <u>विदित हो कि- विश्वविद्यालय परिनियम 31 की भाग 2 की कंडिका 05 के अनुसार किसी भी दशा में कुल परिवीक्षा अवधि 03 वर्ष से अधिक नही होगी, जबकि इस प्रकरण में उनकी परिवीक्षा अवधि 03 वर्ष की अधिकतम सीमा अवधि से अधिक हो चुकी है।</u>

अतः उपरोक्त परिस्थिति में आगामी कार्यवाही हेतु प्रकरण कार्यपरिषद के विचारार्थ प्रस्तुत।

सत्यनारायण शर्मा
पूर्व केबिनेट मंत्री
(मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ शासन)
विधायक
48, रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र

शर्मा सदन, गणेशराम नगर,
बांसटाल, रायपुर 492001 (छ.ग.)
फोन : 0771-2535300
: 0771-2534449
फैक्स : 0771-2535303
E-mail : stnm.sharma@gmail.com

49

क्रमांक : 336

दिनांक : 19.05.2017

प्रति,

कुलपति,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
रायपुर छ.ग.

विषयः— प्रकरण पर अग्रिम कार्यवाही विषयक।
सन्दर्भः— पूर्व प्रेषित पत्र क्रमांक 3200—A दिनांक 02/02/2017

विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र का कृपया, अवलोकन करने का कष्ट करेंगे। पत्र में श्री जानकी प्रकसाद शर्मा के बर्खास्तगी आदेश के विरुद्ध अपील पर विचार करते हुये कार्य परिषद की बैठक 27/02/2015 में जानकी प्रसाद शर्मा के प्रकरण पर विचार के लिये उप समिति गठन किये जाने के निर्णयानुसार कार्यपरिषद के द्वारा गठित उप समिति के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर दिनांक 06/06/2016 को पूरक कार्यसूची के पद क्रमांक 10 पर यह निर्णय दिया गया है कि, विश्वविद्यालय सम्बन्धित अवधि परिक्षार्थियों की संख्या, आवेदन पत्रों से प्राप्त शुल्क एवं आवेदन पत्रों के विक्रय संख्या के साथ आगामी कार्यपरिषद की बैठक में प्रस्तुत किया जाय। विश्वविद्यालय के द्वारा कार्यपरिषद के निर्णय के अनुरुप कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

कृपया, आगामी कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 22/05/2017 को कार्यपरिषद के समक्ष उपरोक्तानुसार पूर्ण विवरण विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित् करते हुये सम्बन्धित को आवश्यक निर्देश प्रदाय करने का कष्ट करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

C/4193
22-5-17

C-2047
20-5-17

(सत्यनारायण शर्मा)
सदस्य, कार्यपरिषद,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,

सत्यनारायण शर्मा
पूर्व केबिनेट मंत्री
(मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ शासन)
विधायक
48, रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र

(50)

शर्मा सदन, गणेशराम नगर,
बांसटाल, रायपुर 492001 (छ.ग.)
फोन : 0771-2535300
: 0771-2534449
फैक्स : 0771-2535303
E-mail : stnrn.sharma@gmail.com

क्रमांक : 3200-A

दिनांक : 02-02-17

प्रति,

कुलपति,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
रायपुर छ.ग.

विषयः— प्रकरण पर अग्रिम कार्यवाही विषयक।
सन्दर्भः— कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 06/06/2016 के पूरक कार्यसूची के पद क्रमांक 10 विषयक।

विषयान्तर्गत सूचित करना है कि, जानकी प्रसाद शर्मा के बर्खास्तगी आदेश के विरुद्ध अपील पर विचार करते हुये कार्य परिषद की बैठक 27/02/2015 पर यह निर्णय लिया गया है कि, जानकी प्रसाद शर्मा के प्रकरण पर विचार के लिये उप समिति का गठन किया जावे।

कार्यपरिषद के द्वारा गठित उप समिति के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर दिनांक 06/06/2016 को पूरक कार्यसूची के पद क्रमांक 10 पर यह निर्णय दिया गया है कि, विश्वविद्यालय सम्बन्धित अवधि परिक्षार्थियों की संख्या, आवेदन पत्रों से प्राप्त शुल्क एवं आवेदन पत्रों के विक्रय संख्या के साथ आगामी कार्यपरिषद की बैठक में प्रस्तुत किया जाय। विश्वविद्यालय के द्वारा कार्यपरिषद के निर्णय के अनुरुप कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

कृपया, आगामी कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 16/02/2017 को कार्यपरिषद के समक्ष उपरोक्तानुसार पूर्ण विवरण विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित् करते हुये सम्बन्धित को आवश्यक निर्देश प्रदाय करने का कष्ट करें।

02-02-17
(सत्यनारायण शर्मा)
सदस्य, कार्यपरिषद,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
रायपुर छ.ग.

Ke
2/2/17

05. क्रीड़ा समिति की बैठक दिनांक 21.04.2016 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : क्रीड़ा समिति की बैठक दिनांक 21.04.2016 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

06. विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 04.06.2016 के कार्यवृत्त को अनुमोदन प्रदान करना।

निर्णय : विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 04.06.2016 के कार्यवृत्त को अनुमोदन किया गया।

07. विश्वविद्यालय परिसर व भवनों के साफ–सफाई व्यवस्था के संबंध में की गई कार्यवाही की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय परिसर व भवनों के साफ–सफाई व्यवस्था के संबंध में की विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा निविदा के आधार पर DPC/CPC की अनुशंसा पर न्यूमारत सिक्यूरिटी डिटेक्टीव सर्विसेस, शॉप नं. 140, बस स्टैण्ड के पास, गणेश पेट नागपुर को उनके द्वारा प्रस्तावित दर पर 1 वर्ष के लिए किये गये अनुबंध की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।

08. विश्वविद्यालय परिसर व भवनों के सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति के द्वारा की गई अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : (i) मेसर्स इंडियन सिक्यूरिटी फोर्स, शॉप नं. k-/264 सुभाष मार्केट भिलाई, जिला–दुर्ग (छ.ग.) से वैकल्पिक व्यवस्था के तहत दिनांक 01.05.2016 से 30.06.2016 तक (दो माह) विश्वविद्यालय परिसर एवं भवनों का कार्य लिया जा रहा है के संबंध में स्वीकृति के साथ दिनांक 01.07.2016 से समाप्त किये जाने की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।

(ii) विश्वविद्यालय परिसर व भवनों के सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति के द्वारा की गई अनुशंसा के अनुसार न्यूमारत सिक्यूरिटी डिटेक्टीव सर्विसेस, नागपुर को उनके द्वारा प्रस्तावित दर पर 1 वर्ष दिनांक 01.07.2016 से 30.06.2017 तक के लिए अनुबंध करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

09. अपोलो कॉलेज, शासकीय वेटरीनरी कालेज के सामने, अंजोरा, दुर्ग में प्राचार्य पद के लिये चयन समिति की अनुशंसा का अनुमोदन करना।

निर्णय : अपोलो कॉलेज, अंजोरा, दुर्ग में प्राचार्य पद पर चयन समिति की अनुशंसा अनुसार डॉ. (श्रीमती) अनघा अगासे के नाम का अनुमोदन किया गया।

10. श्री जानकी प्रसाद शर्मा (बर्खास्त), निम्न वर्ग लिपिक द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 27.02.2015 पर कार्यपरिषद् के द्वारा गठित उप समिति के द्वारा सुनवाई के उपरांत प्रस्तुत अनुशंसा पर विचार करना।

निर्णय : प्रकरण से संबंधित अवधि में परिक्षार्थियों की संख्या, आवेदन पत्रों से प्राप्त शुल्क एवं आवेदन प्रपत्रों के विक्रय संख्या के Reconciliation के साथ आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

वर्ष 2008-09 से वर्ष 2010-11 तक.

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) 52

Phone No. 0771-2262587 Website : prsu.ac.in,
E-Mail- adm.prsu@yahoo.in

कार्यपरिषद में रखे जाने हेतु कार्यालयीन टीप

विषय :- **श्री जानकी प्रसाद शर्मा(बर्खास्त), निम्न वर्ग लिपिक द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 27.02.2015 पर कार्यपरिषद् के द्वारा गठित उप समिति के अनुशंसा एवं बैठक दिनांक 30.07.2015 के बिन्दु क्रमांक 19 के संबंध में।**

1. इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 524/सा.प्रशा.2015 दिनांक 12.02.2015 के द्वारा श्री जानकी प्रसाद शर्मा को विश्वविद्यालय की सेवा से बर्खास्त किया गया।
2. श्री शर्मा द्वारा कुलपति महोदय के समक्ष, दिनांक 27.02.2015 को अपील प्रस्तुत की गई।
3. कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 30.07.2015 में उनके द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 27.02.2015 के संबंध में विचार-विमर्श पश्चात् अपील की सुनवाई के संबंध में कार्यपरिषद के 04 सदस्यों की समिति के गठन का निर्णय लिया गया।
4. कार्यपरिषद के सदस्यों की गठित उप समिति के द्वारा, अपील पर सुनवाई हेतु आयोजित बैठक दिनांक 03.02.2016 के कार्यवृत्त में मुख्यतः निम्न अनुशंसाएं की गई है :-

(i) अपीलार्थी श्री जानकी प्रसाद शर्मा द्वारा निःसन्देह अपने कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही बरती गयी है, किन्तु उन पर लगाये गये राशि रूपये 30,13,370/- गबन का आरोप सही न होकर केवल फार्मो के वितरण में पायी गयी कमी देखने को मिलती है।

(ii) कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अपीलार्थी को बर्खास्तगी के रूप में दिया गया दण्ड कठोर प्रतीत होता है, जो उचित नहीं है। अतः विश्वविद्यालय प्रशासन उसके द्वारा की गई लापरवाही के संबंध में उनकी एक वेतनवृद्धि दो वर्ष तक रोकने का दण्ड दे सकता हैं।

(iii) समिति यह भी अनुशंसा करती है कि भविष्य में प्रत्येक वर्ष के अन्त में भण्डारण में रखे गये विभिन्न फार्मो का, विभागीय अधिकारी के माध्यम से सत्यापन कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

(उप समिति की अनुशंसा संलग्न है)

उक्त प्रकरण में माननीय कार्यपरिषद द्वारा गठित उप समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 03.02.2016 में, निम्नलिखित महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेश नही है:-

1. श्री जानकी प्रसाद शर्मा के विरूद्ध विधिवत विभागीय जांच संस्थित की गयी थी एवं उनके विरूद्ध 15 आरोप सिद्ध पाये गये है।
2. चूंकि संबंधित के विरूद्ध सभी आरोप सिद्ध है। अतः अपचारी कर्मचारी के प्रति किसी भी प्रकार की नरमी नही बरती जा सकती है।
3. अपचारी कर्मचारी द्वारा राशि रू. 3013370.00 का गबन किया गया है। यह तथ्य स्थानीय निधि संपरीक्षा की ऑडिट रिपोर्ट में उल्लेखित किया गया है, जिसे नजरअंदाज नही किया जा सकता।
4. जांच रिपोर्ट में यह प्रमाणित पाया गया है, कि- अपचारी कर्मचारी द्वारा अनेकों स्थानों पर दस्तावेजों में कांटछांट पायी गयी है।

5. अपचारी कर्मचारी द्वारा बिना सक्षम स्वीकृति के, शोध छात्रवृत्ति फार्म का फोटोकापी कराकर विक्रय किया गया है, जिसे उसके द्वारा स्टाक पंजी पर इंद्राज नही किया गया।
6. अपचारी कर्मचारी द्वारा परीक्षा फॉर्मो के विक्रय के पश्चात् प्राप्त राशि को विश्वविद्यालंय कोष में जमा नही किया जाना प्रमाणित हुआ है।
7. इसी प्रकार अपचारी कर्मचारी के द्वारा पुर्नमूल्यांकन फार्मों को रेसोग्राफी कराकर विक्रय करने एवं इसकी प्रविष्टि विश्वविद्यालय के स्टाक पंजी में दर्ज नही कराये जाना प्रमाणित हुआ है।
8. उच्च अधिकारियों द्वारा आबंटित किये गये कार्यों के अंतर्गत, स्टॉक पंजी प्रस्तुत करने के निर्देश के बावजूद, कार्य की अधिकता का बहाना बनाकर, स्टॉक पंजी प्रस्तुत नही कर आदेशों एवं निर्देशों का उल्लंघन का आरोप प्रमाणित पाया गया है।

उप संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-10 के अंकेक्षण पश्चात् प्रस्तुत प्रतिवेदन में उक्त प्रकरण पर जो अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, उसमें संबंधित के विरूद्ध प्रभक्षण वसूली योग्य राशि रू. 3013370.00 बतलाई गयी है।

उपरोक्त तथ्यों पर जांच समिति का प्रतिवेदन अमान्य करते हुये अपील खारिज की जानी चाहियें।

विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा प्रस्तुत प्रकरण से संबंधित उपरोक्त महत्वपूर्ण एवं गंभीर तथ्यों एवं अंकेक्षण रिपोर्ट की गंभीरता को ध्यान में रखते हुये माननीय कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

कार्यालयीन टीप

विषय : श्री जानकी प्रसाद शर्मा (बर्खास्त कर्मचारी) के प्रकरण के संबंध में ।

<u>टीप</u> : (1) मा. कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 30.07.2015 के बिंदु क्र. 19 में जानकी प्रसाद शर्मा द्वारा प्रस्तुत माननीय कुलपति के समक्ष प्रस्तुत अपील दिनांक 27.02.2015 के संबंध में विचार विमर्श पश्चात् निम्न तीन सदस्यों की समिति गठित किये जाने का निर्णय लिया गया –

1.	श्री सत्यनारायण शर्मा	–	अध्यक्ष
2.	श्री नवीन मारकण्डेय	–	सदस्य
3.	डॉ. भगवंत सिंह	–	सदस्य

साथ ही कार्यपरिषद् सदस्य श्री शिवरतन शर्मा को उक्त समिति में शामिल किया गया था।

(2) माननीय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 06.06.2016 के बिंदु क्र. 10 में मा. कार्यपरिषद् के द्वारा गठित उक्त समिति के द्वारा, सुनवाई के उपरांत, प्रस्तुत अनुशंसा (संलग्न प्रमाण–1) पर, विचार उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया –

"प्रकरण से संबंधित अवधि में परिक्षार्थियों की संख्या, आवेदन पत्रों से प्राप्त शुल्क एवं आवेदन प्रपत्रों के विक्रय संख्या के Reconciliation के साथ आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।"

(3) माननीय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 06.06.2016 में लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में आगामी बैठक दिनांक 30.07.2016 को मा. कार्यपरिषद् के समक्ष चाही गई जानकारी प्रस्तुत की गई थी, जिसकी छायाप्रति संलग्न है। (संलग्न प्रमाण–2)

कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 30.07.2016 में उपरोक्त दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण के पश्चात, बिंदु क्र. 14 पर निम्नानुसार निर्णय पारित किया गया :–

श्री जानकी प्रसाद शर्मा (बर्खास्त कर्मचारी) के प्रकरण पर निम्नलिखित जानकारी के साथ आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जायः

(1) सत्रवार प्रस्तुत जानकारी में बचे आवेदन पत्रों को उसमें Carried forward/Brought forward का उल्लेख करते हुए शामिल किया जाय।
(2) वर्ष 2011–12 में जो जानकारी दी गई है, उसका पुनः परीक्षण आवश्यक है।
(3) इस अवधि में स्टॉक वेरीफिकेशन की जानकारी भी दिया जाय।
(4) प्रकरण पर स्थानीय निधि संपरीक्षा (लोकल फंड ऑडिट) द्वारा उल्लेखित आपत्ति के संबंध में उनके ऑडिटर को बुलाकर चर्चा की जाय एवं कार्यपरिषद् की आगामी बैठक में आमंत्रित किया जावे। इसके पूर्व अंकेक्षण आपत्ति एवं इससे संबंधित समस्त जानकारी का परीक्षण कार्यपरिषद सदस्य श्री नरेश चन्द्र गुप्ता से करा लिया जाए।

(4) मा. कार्यपरिषद् की उपरोक्त बैठक दिनांक 30.07.2016 में पारित किये गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में चाही गई जानकारी दो पृष्ठों में (संलग्न प्रपत्र–3) प्रस्तुत की जा रही है। (संलग्न प्रपत्र–3)

अतः प्रकरण माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

(55)

संलग्न क्रमांक-1

बैठक दिनांक 03.02.2016 का कार्यवाही विवरण

कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 30/07/2015 में लिये गये निर्णयानुसार जानकी प्रसाद शर्मा, निम्न वर्ग लिपिक (बर्खास्त), पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के माननीय कुलपति के समक्ष प्रस्तुत अपील दिनांक 27/02/2015 के सम्बन्ध में विचार–विमर्श के पश्चात् अपील की सुनवाई के सम्बन्ध में कार्यपरिषद के सदस्यों की गठित समिति की पूर्व निर्धारित **बैठक दिनांक 03/02/2016 को संचालक महाविद्यालय विकास परिषद के कक्ष में दोपहर 12:30 बजे आयोजित की गई।**

उक्त बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित रहे हैं :–

1.	श्री सत्यनारायण शर्मा (माननीय विधायक एवं कार्यपरिषद सदस्य)	–	अध्यक्ष
2.	श्री शिवरतन शर्मा (माननीय विधायक एवं कार्यपरिषद सदस्य)	–	सदस्य
3.	श्री नवीन मारकण्डेय (माननीय विधायक एवं कार्यपरिषद सदस्य)	–	सदस्य
4.	डॉ. भगवंत सिंह (प्राध्यापक एवं कार्यपरिषद सदस्य)	–	सदस्य

समिति द्वारा अपील की सुनवाई के दौरान अपीलार्थी श्री जानकी प्रसाद शर्मा एवं उनके बचाव सहायक श्री हेमंत शर्मा की उपस्थिति में सुनवाई प्रारम्भ की गई। प्रशासन की ओर से श्री जीवन सिदार द्वारा समिति के समक्ष चाहे गये दस्तावेज प्रस्तुत किये गये।

श्री जानकी प्रसाद शर्मा के विरुद्ध विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा लगाये गये विभिन्न 15 अरोपों का समिति द्वारा सूक्ष्म परीक्षण किया गया एवं अपीलार्थी श्री जानकी प्रसाद शर्मा एवं उनके बचाव सहायक श्री हेमंत शर्मा को बचाव का अवसर देते हुये, आरोप के विभिन्न बिन्दुओं के सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने को कहा। उनके द्वारा विभिन्न बिन्दुओं के सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुये समिति के समक्ष विभिन्न दस्तावेज भी प्रस्तुत किये गये।

<u>सुनवाई के दौरान समिति के समक्ष निम्न तथ्य प्रकाश में आये</u> :–

1. अपीलार्थी श्री जानकी प्रसाद शर्मा द्वारा विकास विभाग में स्थानांतरण के पश्चात्, उन्हें सौंपे गये कार्य, बिना विधिवत चार्ज लिये एवं दिये, प्रारम्भ कर दिया गया था।
2. श्री जानकी प्रसाद शर्मा के विरुद्ध लगाये गये विभिन्न आरोपों में आरोप के बिन्दु क्रमांक 01 में यह भी उल्लेखित किया गया है कि – श्री शर्मा को विकास विभाग द्वारा विभिन्न फार्मों के विक्रय किये जाने हेतु सौंपे गये कार्यों को जिम्मेदारीपूर्वक अपने दायित्वों का निर्वाह न करने बाबत्।

जबकि वास्तव में उन्हें विभिन्न फार्मों के वितरण का कार्य सौंपा गया था।

क्रमशः.....2

3. अपचारी कर्मचारी पर राशि रुपये 30,13,370/– के गबन का जो आरोप लगाया गया है। वह वास्तव में गबन इसलिये नहीं माना जा सकता क्योंकि उसके द्वारा फार्मों का विक्रय नहीं किया जाता था। बल्कि सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा मांग के आधार पर रिकार्ड पंजी में हस्ताक्षर कराकर सीधे महाविद्यालय को फार्म उपलब्ध कराने के साथ–साथ कैश काउन्टर में जमा राशि के रसीद के आधार पर फार्मों का वितरण किया था। अतः इसे गबन न मानते हुये फार्मों के वितरण में पायी गयी कमी की राशि का नुकसान परिलक्षित होती है।

4. प्रकरण में की गई प्राथमिक जाँच के समय श्री जानकी प्रसाद शर्मा स्वयं उपस्थित थे एवं विकास विभाग में प्राथमिक जाँच के दौरान प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों पर उनके हस्ताक्षर भी पाये गये हैं। जाँच अधिकारी द्वारा प्राथमिक जाँच एवं उनसे सम्बन्धित उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों के आधार पर ही जाँच की कार्यवाही सम्पन्न की गई प्रतीत होती है।

5. प्रशासनिक विभाग द्वारा विश्वविद्यालय के निर्धारित नियमों एवं प्रक्रिया के तहत् ही प्रकरण में विभिन्न कार्यवाहियाँ एवं बर्खास्तगी की कार्यवाही सम्पन्न की गई।

6. समिति दस्तावेजों के अवलोकन के पश्चात्, अपीलार्थी द्वारा सुनवाई के दौरान प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर एवं प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर यह मानती है कि – अपीलार्थी श्री शर्मा के द्वारा अपने निर्धारित कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरती गयी है।

उपरोक्त प्रकरण में सुनवाई के उपरान्त सर्वसम्मति से समिति निम्नानुसार अनुशंसा करती है कि :–

1. अपीलार्थी श्री जानकी प्रसाद शर्मा द्वारा निःसन्देह अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरती गयी है। किन्तु उन पर लगाये गये राशि रुपये 30,13,370/– गबन का आरोप सही न होकर केवल फार्मों के वितरण में पायी गयी कमी देखने को मिलती हैं।

2. कर्तव्य के प्रति लापरवाही के लिये विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अपीलार्थी को बर्खास्तगी के रुप में दिया गया दण्ड कठोर प्रतीत होता है, जो उचित नहीं है। अतः विश्वविद्यालय प्रशासन उसके द्वारा की गई लापरवाही के सम्बन्ध में उनकी एक वेतनवृद्धि दो वर्ष तक रोकने का दण्ड दे सकता है।

3. समिति यह भी अनुशंसा करती है कि भविष्य में प्रत्येक वर्ष के अन्त में भण्डारण में रखे गये विभिन्न फार्मों का, विभागीय अधिकारी के माध्यम से सत्यापन कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

(श्री सत्यनारायण शर्मा)	(श्री शिवरतन शर्मा)	(श्री नवीन मारकण्डेय)	(डॉ. भगवंत सिंह)
अध्यक्ष	सदस्य	सदस्य	सदस्य

(57)

(संलग्न प्रपत्र -1)

(38)

कार्यपरिषद में रखे जाने हेतु संक्षेपिका

विषय :– कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 06.06.2016 में श्री जानकी प्रसाद शर्मा (बर्खास्त कर्मचारी) के प्रकरण के संबंध में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में जानकारी ।

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 06.06.2016 में पूरक विषय सूची क्रमांक 10 पर माननीय कार्यपरिषद ने संबंधित अवधि (2008–09, 2009–10, 2010–11 एवं 2011–12) में परीक्षार्थियों की संख्या, आवेदन पत्रों से प्राप्त शुल्क एवं आवेदन पत्रों के विक्रय संख्या से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया है, जिसके परिपालन में चाही गई जानकारी वर्षवार निम्नानुसार प्रस्तुत है :—

परीक्षा आवेदन फार्म –

क्र.	विवरण	सत्र 2008–09
01.	परीक्षार्थियों की संख्या	1,64,469 छात्र
02.	मुद्रण फार्म संख्या	1,99,787 फार्म
03.	कुल विक्रय फार्म संख्या	1,86,988 फार्म
04.	विक्रय फार्म की राशि	रू. 55,02,907=00
05.	भण्डार में बचत फार्म संख्या –	12,799 फार्म (2009–10 में स्थानांतरित)

क्र.	विवरण	सत्र 2009–10
01.	परीक्षार्थियों की संख्या	1,74,366 छात्र
02.	मुद्रण फार्म संख्या – वर्ष 2008–09 का शेष फार्म –	2,49,750 फार्म + 12,799 फार्म
03.	कुल योग फार्म की संख्या	2,62,549 फार्म
04.	कुल विक्रय फार्म संख्या	2,35,985 फार्म
05.	विक्रय फार्म की राशि	1,24,98,503=00
06.	भंडार में बचना चाहिए –	26,564 फार्म
07.	किन्तु भण्डार में बचत फार्म संख्या –	14,595 फार्म
08.	भंडार में कम पाये गए फार्म की संख्या	11,969 फार्म

क्र.	विवरण	सत्र 2010–11
01.	परीक्षार्थियों की संख्या	2,02,583 छात्र
02.	मुद्रण फार्म संख्या	2,65,600 फार्म
03.	कुल विक्रय फार्म संख्या	2,30,282 फार्म
04.	विक्रय फार्म की राशि	2,18,03,652=00
05.	भंडार में बचना चाहिए –	35,318 फार्म
06.	किन्तु भण्डार में बचत फार्म संख्या –	22,057 फार्म
07.	भंडार में कम पाये गए फार्म की संख्या	13,2161 फार्म

क्र.	विवरण	सत्र 2011–12
01.	परीक्षार्थियों की संख्या	2,24,547 छात्र
02.	मुद्रण फार्म संख्या	3,00,000 फार्म
03.	कुल विक्रय फार्म संख्या	2,24,547 फार्म
04.	विक्रय फार्म की राशि	2,27,20,380=00
05.	भंडार में बचना चाहिए –	75,453 फार्म
06.	किन्तु भण्डार में बचत फार्म संख्या –	73,239 फार्म
07.	भंडार में कम पाये गए फार्म की संख्या	2,214 फार्म

अतः उपरोक्त जानकारी के साथ श्री जानकी प्रसाद शर्मा (बर्खास्त कर्मचारी) के प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत ।

26.7.16 My Document/E.C.Doc/71

(58)

सलग्न-3

कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 30.07.2016 में श्री जानकी प्रसाद शर्मा (बर्खास्त कर्मचारी) के प्रकरण के संबंध में लिए गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में जानकारी पर विचार करना ।

टीप : श्री जानकी प्रसाद शर्मा (बर्खास्त कर्मचारी) के प्रकरण पर निम्नलिखित जानकारी के साथ आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय :—

(1) सत्रवार प्रस्तुत जानकारी में बचे आवेदन पत्रों को उसमें Carried forward/Brought forward का उल्लेख करते हुए शामिल किया जाय ।

(2) वर्ष 2011—12 में जो जानकारी दी गई है, उसका पुनः परीक्षण आवश्यक है ।

(3) इस अवधि में स्टॉक वेरीफिकेशन की जानकारी भी दिया जाय ।

(4) प्रकरण पर स्थानीय निधि संपरीक्षा (लोकल फंड ऑडिट) द्वारा उल्लेखित आपत्ति के संबंध में उनके ऑडिटर को बुलाकर चर्चा की जाय एवं कार्यपरिषद् की आगामी बैठक में आमंत्रित किया जावे । इसके पूर्व अंकेक्षण आपत्ति एवं इससे संबंधित समस्त जानकारी का परीक्षण कार्यपरिषद् सदस्य श्री नरेश चन्द्र गुप्ता से करा लिया जाए ।

माननीय कार्यपरिषद् द्वारा उक्त बिन्दुवार चाही गई जानकारी निम्नानुसार है :—

01. :— सत्र 2009—10 में परीक्षा फार्म में किसी प्रकार का परिवर्तन/संशोधन नहीं होने के कारण सत्र 2008—09 के बचत फार्म को सत्र 2009—10 में उपयोग किया गया जिसके कारण सत्र 2008—09 के बचत फ़ार्म को सत्र 2009—10 में Carried forward/Brought forward किया गया ।

सत्र 2010—11 में OMR शीट वाले आवेदन फार्म का मुद्रण कराया गया । सत्र 2010—11 के आवेदन फार्म में "सत्र 2011" मुद्रित होने के कारण तथा सत्र 2011—12 के फार्म में "सत्र 2012" मुद्रित होने के कारण सत्र 2011 के बचत फार्म को सत्र 2012 में उपयोग नहीं किया गया जिसके कारण से सत्र 2010—11 के बचत फार्म को सत्र 2011—12 में Carried forward/Brought forward नहीं किया गया ।

02. कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 30.07.2016 में प्रस्तुत वर्ष 2011—12 के परीक्षा फार्म के लेखा में सत्र 2012—13 के 73 फार्म गलती से सत्र 2011—12 में सम्मिलित होने के कारण कुल विक्रय फार्म संख्या 2,24,547 हो गई जिस कारण से सत्र 2011—12 की कुल छात्र संख्या 2,24,547 एवं विक्रय फार्म संख्या 2,24,547 समान पाई गई ।
सत्र 2012—13 के 73 फार्म को 2,24,547 में से घटाने पर 2,24,474 फ़ार्म सत्र 2011—12 में विक्रय होना पाया गया।

पूर्व पृष्ठ से आगे .....

पूर्व पृष्ठ के अनुक्रम में वर्ष 2011–12 के परीक्षा फार्म का लेखा निम्नानुसार है :–

वर्ष 2011–12 के लिए मुद्रित नियमित परीक्षा फार्म की संख्या – 1,25,000 फार्म
वर्ष 2011–12 के लिए मुद्रित प्राइवेट परीक्षा फार्म की संख्या – 1,75,000 फार्म

कुल मुद्रित परीक्षा फार्म की संख्या — – 3,00,000 फार्म

वर्ष 2011–12 के विक्रय फार्म का विवरण :—

क्र.	फार्म का प्रकार	विक्रय फार्म संख्या	विक्रय राशि
01	कालेजो द्वारा विक्रय किये गये नियमित परीक्षा फार्म	63,442	1,69,39,933=00
02	कालेजो द्वारा विक्रय किये गये प्राइवेट परीक्षा फार्म	1,04,666	
03	अ0शा0 द्वारा विक्रय नियमित एवं भूतपूर्व परीक्षा फार्म	706	70,600=00
04	प्रेक्षागृह द्वारा विक्रय किए गए प्राइवेट परीक्षा फार्म	8,231	8,23,100=00
05	जांच पश्चात् प्राप्त विक्रय फार्म की संख्या व राशि	47,429	48,61,447=00
06	योग	2,24,474	2,26,96,080=00

उपर्युक्त के पश्चात् फार्म मुद्रण, विक्रय एवं शेष का विवरण निम्नानुसार है :—

A. सत्र 2011–12 के लिए मुद्रित परीक्षा फार्म की संख्या – 3,00,000 फार्म
B. महा0, अ0शा एवं स्वागत कक्ष/प्रेक्षागृह से विक्रय किए गए फार्म की कुल संख्या – 2,24,474 फार्म
C. बचत फार्म संख्या – 75,527 फार्म
D. भण्डार में बचत पाये गए फार्म की संख्या – 73,239 फार्म
E. भण्डार में कम पाएं गए या अंतर फार्म की संख्या – 2,287 फार्म

03. सत्र 2007–08 तक के फार्म का आडिट आवासीय अंकेक्षण से कराया गया । कृपया अवगत हो कि सत्र 2008–09 से 2011–12 सत्र के फार्म के लेखा का स्टॉक वेरीफिकेशन तत्कालीक कार्य सहायक श्री जानकी प्रसाद शर्मा द्वारा नहीं कराया गया ।

60 26

अंकेक्षण प्रतिवेदन

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय

वित्तीय वर्ष – 2009–10

(प्रतिवेदन दो भाग में)

प्रथम भाग

(पृष्ठ क्र. – 01 से 201 तक)

उप संचालक

स्थानीय निधि संपरीक्षा

रायपुर (छ.ग.)

(3) विनियोग

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर वर्ष 2009–10 में किये गये विनियोग सावधि जमा राशि रू. 22,47,46,676.00 तथा सम्परीक्षा अवधि में किये गये भौतिक सत्यापन में 31मार्च 2014 की स्थिति में कुल विनियोग सावधि जमा राशि रू.107,35,79,171.00 का विवरण परिशिष्ट क्रमांक 03 एवं 04 में दर्शाया गया हैं इस संबंध में लेख हैं कि निर्धारित परिपक्वता तिथि में रोकीकृत किया जा कर प्राप्त ब्याज राषि रू. 105080622.00 की आय रोकड़ पुस्तिका में इन्द्राज कर अवगत करावें।

(4) प्रभक्षण वसूली योग्य राशि रू. 3013370.00

पं0 रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर वर्ष 2009–10 की संपरीक्षा में पाया गया कि विभिन्न मूल्य धारित आवेदन पत्रों के विक्रय से प्राप्त आय की विभागीय जांच हेतु विश्वविद्यालय सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक 2704/सा0प्रशा0/2012, रायपुर, दिनांक 19.07.2012 द्वारा डॉ0 जे0एल0 गंगवानी, उपकुलसचिव, (प्रशासन) को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। विभागीय जांच में राशि रू0 30,13,370.00 का प्रभक्षण पाया गया जिसकी वसूली के अभाव में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कुलसचिव के पत्र क्रमांक 1586/सा0प्रशा0/2014 रायपुर दिनांक 25.04.2014 एवं पत्र क्रमांक 2495/सा0प्रशा0/2014 रायपुर, दिनांक 16.06.2014 द्वारा थाना प्रभारी सरस्वती नगर, रायपुर (छ0ग0)को श्री जानकी प्रसाद शर्मा, निम्न वर्ग लिपिक द्वारा गबन किए जाने की जानकारी दी गई। गबन का विवरण निम्नानुसार है :—

(अ) विभिन्न मूल्य धारित आवेदन पत्रों के विक्रय राशि का प्रभक्षण राशि रू0 29,91,270.00

पं0 रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर वर्ष 2009–10 की संपरीक्षा में विकास विभाग द्वारा 14 मदों के मूल्य धारित विवरण पत्रिका, परीक्षा फार्म एवं अन्य प्रपत्र/फार्म आदि के प्रारंभिक स्कंध, वितरण एवं विक्रय संख्या, विक्रय दर, जमा राशि, कम जमा राशि, कम जमाकर्ता/प्रभक्षणकर्ता का नाम वर्षान्त में बचत स्कंध आदि की मांग अनेक पत्रों से की गई तथा स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम 1973 की धारा 6 (1) (क) पत्र क्रमांक/निगम/रविवि/2014–15/771–772 रायपुर दि0 28.08.2014 जारी किए जाने पर उपकुलसचिव (विकास) द्वारा पत्र क्रमांक 856/विकास/14 फार्मलेखा/2014 दि0 16.09.2014/17.09.2014 द्वारा जानकारी दी गई कि राशि रू0 29,91,270.00 श्री जानकी प्रसाद शर्मा द्वारा प्रभक्षण किया गया है। विभागीय जांच का विवरण अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया। अंकेक्षण की जांच में राशि रू0 29,91,270.00 को लेखे में लिया जाना नहीं पाया गया। वि0वि0 द्वारा उपरोक्त पत्र से दी गई जानकारी का विवरण निम्नानुसार है :—

	2011–12 OMR Sheet 2011-12	100000	35210	20/-	704200/-	64015	775	15500.00
					उक्त विवरणानुसार कमी पाये गये फार्मो की कुल राषि रू.—			29,91,270.00

उपरोक्तानुसार कुल रू0 29,91,270.00 (अक्षरी रू0 उन्तीस लाख इन्क्यान्बे हजार दो सौ सत्तर मात्र) श्री जानकी प्रसाद शर्मा द्वारा कम जमा किया जाना पाया गया । अर्थात् प्रभक्षण होना उपरोक्त संदर्भित पत्र कमांक 856/विकास/14फार्मलेखा/2014 दि0 16.09.2014/17.09.2014 एवं वित्त नियंत्रक के पत्र क0/1321/आडिट आपत्ति 09–10/वित्त/2014 दि0 10.11.2014 द्वारा अवगत कराया गया ।

उक्त अवधि में विकास विभाग में प्रभारी अधिकारी के रूप में डॉ0 डी0पी0 कुइति, डॉ0 निनाद बोधनकर, OSD (Dev) डॉ0 ए0के0 पाण्डे, OSD (Dev) एवं श्री अब्दुल वहाब, सहायक कुलसचिव पदस्थ रहे ।

इस अवधि में श्री के.एल. कश्यप, श्री एम.एल. निषाद, डॉ0 आर0के0 ब्रम्हे, श्री एन.एस. अकुर, डॉ0 आर.के. ब्रम्हें, श्री व्ही.के. खलको आदि वित्त नियंत्रक के दायित्व पर कार्यरत् रहे । विश्वविद्यालय विनियम कमांक 108 भाग 2 की कंडिका (03) के प्रावधान अनुसार विश्वविद्यालय को प्राप्त होने वाली आय से संबंधित दैनिक वसूली पंजी का लेखा वित्त विभाग एवं मुद्रणालय एवं भण्डार द्वारा रखा जाएगा और उसका भौतिक सत्यापन वित्त अधिकारी द्वारा आवश्यक रूप से प्रत्येक माह के अंत में किया जावेगा । जिसका पालन नहीं किया गया तथा विकास विभाग द्वारा लेखा वित्त अधिकारी के समक्ष सत्यापन हेतु प्रस्तुत किया जाना पंजी में उल्लेखित नहीं है ।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि विकास विभाग प्रभारी अधिकारी/सहायक कुल सचिव तथा वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया है । अतः प्रभक्षण/वसूली के लिए वे भी उत्तरदायी है ।

उपरोक्त के संबंध में लेख्य है कि :—

श्री जानकी प्रसाद शर्मा निम्न वर्ग लिपिक (सहायक ग्रेड 3) से या उत्तरदायी कर्मचारी/अधिकारी से राशि रू0 29,91,270.00 वसूली कर विश्वविद्यालय कोष में जमा से अवगत करावे तथा दोषी कर्मचारी एवं अधिकारियों के विरूद्व प्रशासनिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही बताई जावे ।

इस संबंध में पत्र कमांक/निगम/रविवि/2014–15/837–838–839 रायपुर, दिनांक 22.01.2014 द्वारा आपत्ति प्रसारित की गई ।

(ब) प्रमक्षण वसूली योग्य राशि रू0 22,100.00

उपकुलसचिव (विकास) के पत्र कमांक 856/विकास/14 फार्म लेखा/2014 दिनांक 16.09.
2014/17.09.2014 द्वारा राशि रू0 29,91,270.00 गबन की जानकारी दी गई, किन्तु कुलसचिव द्वारा पत्र
कमांक 1586/सा0प्रशा0/2014 रायपुर दिनांक 25.04.2014 एवं कमांक 2495/सा0प्रशा0/2014 रायपुर
दिनांक 16.06.2014 द्वारा राशि रू0 30,13,370.00 का गबन विभागीय जांच में प्रमाणित होना उल्लेखित किए
जाने से अंकेक्षण द्वारा पत्र कमांक/निगम/रविवि/2014–15/1026–1027–1028 रायपुर दिनांक 19.12.
2014 द्वारा अंतर की राशि रू0 22,100.00 के गबन का विवरण मांगे जाने पर कुलसचिव द्वारा पत्र कमांक
6888/सा0प्रशा0/14 रायपुर दिनांक 26.12.2014 एवं नोटशीट जावक कमांक 6031/सा0प्रशा0/15
दिनांक 01.01.2015 द्वारा श्री जानकी प्रसाद शर्मा द्वारा गबन के आरोपों का विवरण निम्नानुसार बताया
गया।

श्री जानकी प्रसाद शर्मा पर लगाये गए आरोप बिन्दु कमांक 12 में श्री जानकी प्रसाद शर्मा को
शासकीय महाविद्यालय, लवन द्वारा दिनांक 06.01.2011 को दी गई दो फार्म की राशि रू0 200.00
आरोप कमांक 14 में श्री जानकी प्रसाद शर्मा को रू0 10,000.00 वर्ष 2010 में अग्रिम दिया गया था जिसका
फर्जी देयक प्रस्तुत किया जाकर गबन किया एवं शासकीय खेमराज लक्ष्मीचंद कला एवं वाणिज्य
महाविद्यालय, बागबाहरा द्वारा 100 परीक्षा फार्म दिनांक 17.10.2012 को वापस श्री जानकी प्रसाद शर्मा को
दी गई थी जिसे उनके द्वारा फार्म की राशि रू0 10,000.00 विश्वविद्यालय कोष में जमा नहीं किया गया एवं
आरोप बिन्दु कमांक 15 में रावतपुरा सरकार संस्थान, कुम्हारी (दुर्ग) से 99 परीक्षा फार्म की राशि प्राप्त कर
कर 80 परीक्षा फार्म की राशि जमा की गई एवं शेष 19 फार्म की राशि रू0 1900.00 विश्वविद्यालय कोष में
जमा नहीं किया गया । इस तरह श्री जानकी प्रसाद शर्मा द्वारा राशि रू0 22,100.00 का गबन किया जाना
कुलसचिव द्वारा अवगत कराया गया ।

परीक्षा फार्मो के प्रदाय एवं मूल्य परीक्षा फार्म वितरण पंजी पृष्ठ कमांक 416, 354–96 एवं 218 में
दर्शित अनुसार मूल्यांकन किया गया । तदानुसार अंकेक्षण जांच में राशि रू. 22100.00 लेखे में लिया जाना
नहीं पाया गया ।

उपरोक्त के संबंध में लेख्य है कि :–

01. कंडिका (अ) की राशि रू0 29,91,270.00 एवं कंडिका (ब) की राशि रू0 22,100.00 कुल राशि रू.
30,13,370.00 श्री जानकी प्रसाद शर्मा निम्न वर्ग लिपिक (सहायक ग्रेड 3) से या उत्तरदायी
अधिकारियों एवं कर्मचारियों से वसूली कर विश्वविद्यालय कोष में जमा से अवगत करावें तथा

02. दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध की गई प्रशासनिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही बताई जावे ।

(5) दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का पारिश्रमिक का दोहरा भुगतान परीक्षण जॉच (Test Checking) में उदाहरणार्थ वसूली योग्य राशि रू. 24923.00

(क) पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर 2009–10 में कलेक्टर दर पर दैनिक वेतन पर कर्मचारियों को रखा गया है। इस कर्मचारियों को प्रथमतः उपस्थिति सह रविवार अवकाश को शामिल करते हुये मासिक देयक तैयार कर, मजदूरी का भुगतान किया गया। तत्पश्चात् पृथक से माह के रविवार के तिथियों का मजदूरी का देयक तैयार कर दोहरा भुगतान किया गया है। इस प्रकार रविवार के तिथियों की मजदूरी का दोहरा भुगतान गंभीर अनियमितता है। अतः प्रकरण की जांच कर दोहरे भुगतान की राषि रू. 24,923.00 उत्तरदायी पक्ष से वसूल कर विश्वविद्यालय कोष में जमा करें ।

(ख) इस प्रकार के दोहरे भुगतान के अन्य प्रकरणों की जांच अपेक्षित है । तद्नुसार **विभागीय जांच** कर गणना एवं वसूली कर भुगतान हेतु उत्तरदायी कर्मचारी/अधिकारी के विरूद्ध की गई प्रशासनिक कार्यवाही से अकेक्षण को अवगत कराया जावे।

परीक्षण जांच (Test Checking) में पाए गए उदाहरणार्थ राषि रू. 24930.00 का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र0	पूर्व भुगतान विवरण प्रमाणक क्र0/दिनांक/राशि	माह	दोहरा भुगतान विवरण प्रमाणक क्र0/दिनांक/राशि	रविवार तिथि एवं माह	दोहरा भुगतान वसूली योग्य राशि
01.	02.	03.	04.	5.	6.
(अ) श्री बसंत दैनिक वेतन भोगी सामान्य मद					
1	2505/11.02.09/3305.00	जनवरी –09	37/17.04.09/1433.00	रविवार–4,11,18,25 जनवरी– 09	1433.00
2	2661/09.03.09/2974.00	फरवरी–09	37/17.04.09	रविवार– 01,08,15,22 फरवरी – 09	
3	81/24.04.09/3305.00	मार्च–09	37/17.04.09	रविवार–1–8,15,22,29 मार्च – 09	
4	309/21.05.09/3194.00	अप्रेल–09	307/31.05.9/441.00	रविवार – 05,12,19,26 अप्रेल09	441.00

(69)

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

कार्यपरिषद में रखे जाने हेतु कार्यालयीन टीप

विषयः- **श्री जानकी प्रसाद शर्मा (बर्खास्त), निम्न वर्ग लिपिक द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 27.02.2015 पर कार्यपरिषद के द्वारा गठित उप समिति के द्वारा, सुनवाई के उपरांत प्रस्तुत अनुशंसा पर विचार करना।**

1. इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 524/सा.प्रशा./2015 दिनांक 12.02.2015 के द्वारा श्री जानकी प्रसाद शर्मा को विश्वविद्यालय की सेवा से बर्खास्त किया गया।
2. श्री शर्मा द्वारा कुलपति महोदय के समक्ष, दिनांक 27.02.2015 को अपील प्रस्तुत की गई।
3. कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 30.07.2015 में उनके द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 27.02.2015 के संबंध में विचार-विमर्श पश्चात् अपील की सुनवाई के संबंध में कार्यपरिषद के 04 सदस्यों की समिति के गठन का निर्णय लिया गया ।
4. कार्यपरिषद के सदस्यों की गठित उप समिति के द्वारा, अपील पर सुनवाई हेतु आयोजित बैठक दिनांक 03.02.2016 के कार्यवृत्त में मुख्यतः निम्न अनुशंसाएं की गई हैं:-

(i) अपीलार्थी श्री जानकी प्रसाद शर्मा द्वारा निःसन्देह अपने कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही बरती गयी है। किन्तु उन पर लगाये गये राशि रूपये 30,13,370/- गबन का आरोप सही न होकर केवल फार्मों के वितरण में पायी गयी कमी देखने को मिलती है।

(ii) कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अपीलार्थी को बर्खास्तगी के रूप में दिया गया दण्ड कठोर प्रतीत होता है, जो उचित नहीं है। अतः विश्वविद्यालय प्रशासन उसके द्वारा की गई लापरवाही के सम्बन्ध में उनकी एक वेतनवृद्धि दो वर्ष तक रोकने का दण्ड दे सकता है।

(iii) समिति यह भी अनुशंसा करती है कि भविष्य में प्रत्येक वर्ष के अन्त में भण्डारण में रखे गये विभिन्न फार्मों का, विभागीय अधिकारी के माध्यम से सत्यापन कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। (उप समिति की अनुशंसा संलग्न है)

अतः प्रकरण माननीय कार्यपरिषद के समक्ष आगामी कार्यवाही हेतु विचारार्थ प्रस्तुत।

(66)

बैठक दिनांक 03.02.2016 का कार्यवाही विवरण

कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 30/07/2015 में लिये गये निर्णयानुसार जानकी प्रसाद शर्मा, निम्न वर्ग लिपिक (बर्खास्त), पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के माननीय कुलपति के समक्ष प्रस्तुत अपील दिनांक 27/02/2015 के सम्बन्ध में विचार–विमर्श के पश्चात् अपील की सुनवाई के सम्बन्ध में कार्यपरिषद के सदस्यों की गठित समिति की पूर्व निर्धारित **बैठक दिनांक 03/02/2016 को संचालक महाविद्यालय विकास परिषद के कक्ष में दोपहर 12:30 बजे आयोजित की गई।**

उक्त बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित रहे हैं :–

1.	श्री सत्यनारायण शर्मा (माननीय विधायक एवं कार्यपरिषद सदस्य)	–	अध्यक्ष
2.	श्री शिवरतन शर्मा (माननीय विधायक एवं कार्यपरिषद सदस्य)	–	सदस्य
3.	श्री नवीन मारकण्डेय (माननीय विधायक एवं कार्यपरिषद सदस्य)	–	सदस्य
4.	डॉ. भगवंत सिंह (प्राध्यापक एवं कार्यपरिषद सदस्य)	–	सदस्य

समिति द्वारा अपील की सुनवाई के दौरान अपीलार्थी श्री जानकी प्रसाद शर्मा एवं उनके बचाव सहायक श्री हेमंत शर्मा की उपस्थिति में सुनवाई प्रारम्भ की गई। प्रशासन की ओर से श्री जीवन सिदार द्वारा समिति के समक्ष चाहे गये दस्तावेज प्रस्तुत किये गये।

श्री जानकी प्रसाद शर्मा के विरुद्ध विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा लगाये गये विभिन्न 15 अरोपों का समिति द्वारा सूक्ष्म परीक्षण किया गया एवं अपीलार्थी श्री जानकी प्रसाद शर्मा एवं उनके बचाव सहायक श्री हेमंत शर्मा को बचाव का अवसर देते हुये, आरोप के विभिन्न बिन्दुओं के सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने को कहा। उनके द्वारा विभिन्न बिन्दुओं के सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुये समिति के समक्ष विभिन्न दस्तावेज भी प्रस्तुत किये गये।

सुनवाई के दौरान समिति के समक्ष निम्न तथ्य प्रकाश में आये :–

1. अपीलार्थी श्री जानकी प्रसाद शर्मा द्वारा विकास विभाग में स्थानांतरण के पश्चात्, उन्हें सौंपे गये कार्य, बिना विधिवत चार्ज लिये एवं दिये, प्रारम्भ कर दिया गया था।
2. श्री जानकी प्रसाद शर्मा के विरुद्ध लगाये गये विभिन्न आरोपों में आरोप के बिन्दु क्रमांक 01 में यह भी उल्लेखित किया गया है कि – श्री शर्मा को विकास विभाग द्वारा विभिन्न फार्मों के **विक्रय** किये जाने हेतु सौंपे गये कार्यों को जिम्मेदारीपूर्वक अपने दायित्वों का निर्वाह न करने बाबत्।

   जबकि वास्तव में उन्हें विभिन्न फार्मों के **वितरण** का कार्य सौंपा गया था।

क्रमशः.....2

3. अपचारी कर्मचारी पर राशि रुपये 30,13,370/– के गबन का जो आरोप लगाया गया है। वह वास्तव में गबन इसलिये नहीं माना जा सकता क्योंकि उसके द्वारा फार्मों का विक्रय नहीं किया जाता था। बल्कि सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा मांग के आधार पर रिकार्ड पंजी में हस्ताक्षर कराकर सीधे महाविद्यालय को फार्म उपलब्ध कराने के साथ–साथ कैश काउन्टर में जमा राशि के रसीद के आधार पर फार्मों का वितरण किया था। अतः इसे गबन न मानते हुये फार्मों के वितरण में पायी गयी कमी की राशि का नुकसान परिलक्षित होती है।

4. प्रकरण में की गई प्राथमिक जाँच के समय श्री जानकी प्रसाद शर्मा स्वयं उपस्थित थे एवं विकास विभाग में प्राथमिक जाँच के दौरान प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों पर उनके हस्ताक्षर भी पाये गये हैं। जाँच अधिकारी द्वारा प्राथमिक जाँच एवं उनसे सम्बन्धित उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों के आधार पर ही जाँच की कार्यवाही सम्पन्न की गई प्रतीत होती है।

5. प्रशासनिक विभाग द्वारा विश्वविद्यालय के निर्धारित नियमों एवं प्रक्रिया के तहत् ही प्रकरण में विभिन्न कार्यवाहियाँ एवं बर्खास्तगी की कार्यवाही सम्पन्न की गई।

6. समिति दस्तावेजों के अवलोकन के पश्चात्, अपीलार्थी द्वारा सुनवाई के दौरान प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर एवं प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर यह मानती है कि – अपीलार्थी श्री शर्मा के द्वारा अपने निर्धारित कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरती गयी है।

उपरोक्त प्रकरण में सुनवाई के उपरान्त सर्वसम्मति से समिति निम्नानुसार अनुशंसा करती है कि :–

1. अपीलार्थी श्री जानकी प्रसाद शर्मा द्वारा निःसन्देह अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरती गयी है। किन्तु उन पर लगाये गये राशि रुपये 30,13,370/– गबन का आरोप सही न होकर केवल फार्मों के वितरण में पायी गयी कमी देखने को मिलती है।

2. कर्तव्य के प्रति लापरवाही के लिये विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अपीलार्थी को बर्खास्तगी के रुप में दिया गया दण्ड कठोर प्रतीत होता है, जो उचित नहीं है। अतः विश्वविद्यालय प्रशासन उसके द्वारा की गई लापरवाही के सम्बन्ध में उनकी एक वेतनवृद्धि दो वर्ष तक रोकने का दण्ड दे सकता है।

3. समिति यह भी अनुशंसा करती है कि भविष्य में प्रत्येक वर्ष के अन्त में भण्डारण में रखे गये विभिन्न फार्मों का, विभागीय अधिकारी के माध्यम से सत्यापन कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

(श्री सत्यनारायण शर्मा)	(श्री शिवरतन शर्मा)	(श्री नवीन मारकण्डेय)	(डॉ. भगवंत सिंह)
अध्यक्ष	सदस्य	सदस्य	सदस्य

(68)

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

माननीय कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ रखे जाने हेतु कार्यालयीन टीप

विषयः- **विश्वविद्यालय परिसर स्थित मां बंजारी देवी मंदिर के व्यवस्थित संचालन हेतु- मां बंजारी देवी मंदिर ट्रस्ट समिति के गठन बाबत्।**

विश्वविद्यालय की माननीय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 04.10.2005 के विषय क्रमांक 6 में लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में, विश्वविद्यालय परिसर में स्थित मां बंजारी देवी मंदिर में स्थापित विभिन्न देवी देवताओं की विधिवत पूजा अर्चना सुनिश्चित करने बाबत मां बंजारी देवी मंदिर ट्रस्ट समिति का गठन किया जाना प्रस्तावित है।

साथ ही मंदिर के संचालन हेतु ट्रस्ट समिति का पंजीयन- पंजीयक, लोक न्यास, जिला रायपुर (छ.ग.) से कराया जाना प्रस्तावित है, ताकि मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की भावनाओं के अनुरूप मंदिर में व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।

मंदिर को आंबटित की जाने वाली भूमि का स्वामित्व विश्वविद्यालय का रहेगा।

इस संबंध में प्रस्तावित **न्यास विलेख एवं नियमावली** संलग्न कर निर्णय लिये जाने हेतु माननीय कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

(69)

न्यास विलेख

माँ बंजारी देवी ट्रस्ट समिति,

पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर, रायपुर ४९२०१० छत्तीसगढ़

१. नाम एवं पता

a. नाम: इस सार्वजनिक ट्रस्ट का नाम माँ बंजारी देवी ट्रस्ट समिति होगा.

b. कार्यालय: इसका स्थायी कार्यालय माँ बंजारी देवी मंदिर परिसर, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर, रायपुर होगा.

c. स्थायी पता: माँ बंजारी देवी मंदिर परिसर, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर, रायपुर ४९२०१० छत्तीसगढ़ होगा.

२. कार्य एवं उद्देश्य

अ. विश्वविद्यालय परिसर स्थित माँ बंजारी देवी की नियमित पूजा अर्चना करना एवं मंदिर परिसर में स्तिथ अन्य मंदिरों प्रतिष्ठित मूर्तियों कि नियमित पूजा अर्चना करना;

ब. माँ बंजारी देवी मंदिर परिसर में स्थित समस्त मंदिरों एवं भवनों के भूमि तथा चल अचल संपत्ति की व्यवस्था करना

स. मंदिर के संचालन के लिए नियमित चंदा, नैम्मितिक दान, भेट आदि स्वीकार करना

द. मंदिर परिसर एवं आसपास में पर्यावरणीय विकास एवं पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना

इ. पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के सहयोग से माँ बाजारी देवी के प्रति जनसामान्य की आस्था सुदृढ़ करने हेतु धार्मिक आयोजन का सञ्चालन करना.

३. सदस्यता

a. यह न्यासी समिति माँ बंजारी देवी मंदिर न्यास की स्थायी संरक्षक समिति के रूप में कार्य करेगी.

b. न्यासी समिति के चार (०४) सदस्य पदेन एवं सात (०७) सदस्य नामांकित होंगे.

c. न्यास समिति के सदस्यों की कुल संख्या ग्यारह (११) होगी, जिसका विवरण निम्म्नानुसार है:

i. अध्यक्ष, विश्वविद्यालय के कुलपति ट्रस्ट के पदेन अध्यक्ष होंगे

ii. उपाध्यक्ष, विश्वविद्यालय के रेक्टर या विश्वविद्यालय कार्यपरिषद द्वारा मनोनीत एक सदस्य

iii. सचिव, विश्वविद्यालय के कुलसचिव ट्रस्ट के पदेन सचिव होंगे

iv. सह-सचिव, विश्वविद्यालय के उप कुलसचिव (सामान्य प्रशासन) पदेन सह-सचिव होंगे

v. कोषाध्यक्ष, विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक पदेन कोषाध्यक्ष होंगे

vi. सदस्य, सदस्यों की कुल संख्या (६) होगी. इसमें दो (२) सदस्य शिक्षक समुदाय से, दो (२) सदस्य कर्मचारी समुदाय से एवं दो (२) सदस्य वर्तमान/पूर्व छात्रों से पूर्ण होगी. उपरोक्त छह (०६) सदस्यों का मनोनयन माननीय कुलपति, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय द्वारा किया जावेगा.

vii. सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़े ०३ सदस्यों को भी न्यास समिति द्वारा सहमति होने पर शामिल किया जा सकेगा.

४. माँ बंजारी देवी की पूजा एवं धार्मिक प्रयोजन हेतु आवश्यकतानुसार विश्वविद्यालय से सहयोग प्राप्त करना (वर्तमान में आबंटित भूमि एवं भविष्य में विकास हेतु प्राप्त की जाने वाली भूमि का स्वामित्व विश्वविद्यालय का होगा)
५. दान, भेट, चंदा इत्यादि से राशि प्रप्त करना
६. माँ बंजारी देवी मंदिर के हित में आवश्यक एवं उपयुक्त निर्णय लेना. इस हेतु प्रत्येक तीन माह में न्यासी समिति की बैठक का आयोजन करना
७. समस्त वैधानिक, सामाजिक, प्रशासनिक एवं वित्तीय लेखा संधारण के लिए आवश्यक निर्णय लेना तथा कार्यों का संपादन करना

कोरम : प्रबंध कारिणी समिति का कोरम छह (०६) सदस्यों के उपस्तिथि में पूर्ण होगा. गणपूर्ति के अभाव में बैठक एक घंटे स्थगित कर पुनः बैठक उसी स्थान पर शुरू की जा सकेगी.

८. न्यासी समिति की सामान्य सभा

प्रबंध कारिणी समिति के पदाधिकारियों के द्वारा लिए गए समस्त अधिकारों के अनुरूप लिए गए निर्णयों पर कार्यवाही के पूर्व विचार करने हेतु एवं भविष्य की योजनायों के लिए सामान्य सभा की बैठक आहूत की जाएगी.

१. प्रबंध कारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार के अनुरूप लिए गए निर्णयों का अनुमोदन करना एवं व्याख्या करना
२. वित्तीय वर्ष के आधार पर, वार्षिक आय-व्यय के ब्यौरे को स्वीकृती प्रदान करना
३. चल अचल संपत्ति का अर्जन, निर्माण, विनियोजन एवं परिवर्तन आदि को स्वीकृती प्रदान करना
४. समस्त वार्षिक आय-व्यय ब्यौरे को स्वीकृति प्रदान करना.
५. माँ बंजारी देवी की पूजा एवं धार्मिक प्रयोजन हेतु आवश्यकतानुसार विश्वविद्यालय से सहयोग प्राप्त करने हेतु प्रयास करना
६. दान, भेट, चंदा इत्यादि से प्राप्त राशि की जानकारी प्राप्त करना
७. माँ बंजारी देवी मंदिर के हित में आवश्यक एवं उपयुक्त निर्णय लेना.
८. समस्त वैधानिक, सामाजिक, प्रशासनिक एवं वित्तीय लेखा संधारण के लिए आवश्यक निर्णय लेना.
९. समिति के २/३ सदस्यों (सात सदस्य) के हस्ताक्षर पर किसी विशेष विषय पर बैठक बुलाने की मांग किये जाने पर एक माह के अन्दर सामान्य सभा की बैठात बुलाई जाएगी
१०. आठ (०८) सदस्यों की उपस्थिति से कोरम पूर्ण होगा. गणपूर्ति के आभाव में बैठक एक घंटे स्थगित कर पुनः बैठक उसी स्थान पर शुरू की जा सकेगी.

९. <u>पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य</u> :

१. <u>अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य:</u>

अ. न्यासी समिति की सामान्य सभा एवं प्रबंध कारिणी समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे
ब. न्यासी समिति की सामान्य सभा एवं प्रबंध कारिणी समिति की बैठक आहूत करने हेतु सचिव को निर्देश देना
स. विशेष धार्मिक कार्यक्रम या अन्य कार्यक्रम हेतु आकस्मिक व्यय की आवश्यकता पड़ने पर उचित राशि की स्वीकृति प्रदान करना

२. उपाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य:

अ. अध्यक्ष द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अनुरूप कार्य करना

ब. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता करना

३. सचिव के अधिकार एवं कर्तव्य:

अ. अध्यक्ष के निर्देशानुसार न्यासी समिति सामान्य सभा एवं प्रबंधकारिणी समिति की बैठक आयोजित करना

ब. न्यासी समिति सामान्य सभा एवं प्रबंधकारिणी समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों को कार्यवाही पंजी में लिपिबद्ध करना एवं क्रियान्वन करना

स. रु. दस हजार (रु. १०,०००/=) तक की आकस्मिक व्यय की राशि की स्वीकृति प्रदान करना

४. सहसचिव के अधिकार एवं कर्तव्य:

अ. सचिव द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अनुरूप कार्य करना

ब. सचिव की अनुपस्थिति में बैठक का सचिव के रूप में सञ्चालन करना

५. कोषाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य:

अ. माँ बंजारी देवी के कोष को बैंक में रखना

ब. प्रबंधकारिणी के अध्यक्ष एवं सचिव के निर्देशानुसार कोष का सञ्चालन करना

स. आय-व्यय का विवरण (कैशबुक, लेजेर एवं व्हाउचर आदि) संधारित करना

द. वार्षिक बजट तैयार करना, अंकेक्षण कार्य पूर्ण करना एवं सामान्य सभा तथा प्रबंधकारिणी के समक्ष प्रस्तुत करना

९ (अ) मंदिर का प्रबंधन

मंदिर के कुशल प्रबंधन एवं सञ्चालन का दायित्व प्रबंध कार्यकारिणी के अध्यक्ष एवं सचिव का होगा। मंदिर की प्रचलित व्यवस्था में परिवर्तन न्यास समिति के अनुमोदन के उपरांत ही किया जा सकेगा।

१०. संशोधन

माँ बाजारी देवी मंदिर ट्रस्ट समिति के नियमावली में संशोधन सामान्य सभा के २/३ सदयों (०७) के द्वारा प्रस्ताव के पक्ष में मत देने पर किया जा सकेगा. यह संशोधन पंजीयक लोक न्यास रायपुर के स्वीकृति के पश्च्यात ही लागू होगा.

	हस्ताक्षर	नाम	पता
१. अध्यक्ष माँ बंजारी देवी मंदिर ट्रस्ट, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर, रायपुर			
२.			
३.			
४.			

(73)

प्रारूप ३

नियम ४ (२)

ट्रस्ट पंजीयन हेतु आवेदन पत्र

सेवा में,

पंजीयक, लोक न्यास
जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)

लोक न्यास के मामले में न्यास का पूरा नाम और पता----माँ बंजारी देवी मंदिर ट्रस्ट समिति, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर, रायपुर, जिला रायपुर - ४९२०१० छत्तीसगढ़, होगा.

१. मैं/हम, माँ बंजारी देवी मंदिर ट्रस्ट समिति, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर, रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़-४९२०१० उपरोक्त वर्णित न्यास के न्यासी/न्यासिगण, एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम, १९५१ (१९५१ का ३०) की धारा ४ के अंतर्गत, कथित लोक न्यास के पंजीकरण के लिए आवेदन करते है.

२. मैं/हम निम्म्नालिखित आवश्यक विवरण प्रस्तुत करते है -

1. <u>न्यास का पूरा नाम एवं पता,</u> लोक न्यास का उद्गम, प्रकृति और उददेशय-

न्यास का नाम और पता, माँ बंजारी देवी मंदिर ट्रस्ट समिति, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़ ४९२०१०, होगा.

<u>लोक न्यास का उद्गम:</u> पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् की बैठक मंगलवार दिनांक ४.१०.२००५ के कार्य वृत्त विषय क्रमांक ६ के अनुसार, विश्वविद्यालय परिसर में स्थित बंजारी मंदिर के सम्बन्ध में प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया की माँ बंजारी देवी मंदिर ट्रस्ट समिति का निर्माण कर मंदिर का सञ्चालन किया जावे.

<u>प्रकृति और उद्देश्य:</u> यह की माँ बंजारी देवी मंदिर ट्रस्ट समिति का निर्माण, मंदिर परिसर के रख रखाव एवं विकास हेतु आवश्यक व्यवस्था करना | इस हेतु विश्वविद्यालय द्वारा आबंटित भूमि पर पूर्ण स्वामित्व पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर का होगा.

अ. विश्वविद्यालय परिसर स्थित माँ बंजारी देवी की नियमित पूजा अर्चना करना एवं मंदिर परिसर में स्थित अन्य मंदिरों में प्रतिष्ठित मूर्तियों की नियमित पूजा अर्चना करना;

ब. माँ बंजारी देवी मंदिर परिसर में स्थित समस्त मंदिरों एवं भवनों के भूमि तथा चल अचल संपत्ति की व्यवस्था करना

स. मंदिर के संचालन के लिए नियमित चंदा, नैम्मितिक दान, भेट आदि स्वीकार करना

द. मंदिर परिसर एवं आसपास में पर्यावरणीय विकास एवं पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना

इ. पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के सहयोग से माँ बाजारी देवी के प्रति जनसामान्य की आस्था सुनिश्चित करने हेतु धार्मिक आयोजन का सञ्चालन करना.

2. <u>वह स्थान</u> जहाँ लोक न्यास का प्रधान कार्यालय या कारोबार का प्रधान स्थान स्थित है-माँ बंजारी देवी मंदिर परिसर, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर, रायपुर, ४९२०१०, छत्तीसगढ़

3. कार्यकारी न्यासी और प्रबंधक के नाम, पते सहित-इस ट्रस्ट समिति के कार्यकारी सदस्यों की कुल संख्या ग्यारह (११) होगी, जिसका विवरण निम्म्नानुसार है:

   i. अध्यक्ष, विश्वविद्यालय के कुलपति ट्रस्ट के पदेन अध्यक्ष होंगे
   ii. उपाध्यक्ष, विश्वविद्यालय के रेक्टर/विश्वविद्यालय कार्यपरिषद द्वारा मनोनीत एक सदस्य
   iii. सचिव, विश्वविद्यालय के कुलसचिव ट्रस्ट के पदेन सचिव होंगे
   iv. सह-सचिव, विश्वविद्यालय के उप कुलसचिव (सामान्य प्रशासन) पदेन सह-सचिव होंगे
   v. कोषाध्यक्ष, विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक पदेन कोषाध्यक्ष होंगे

(74)

vi. सदस्य, सदस्यों की कुल संख्या छह (७) होगी. इसमें दो (२) सदस्य शिक्षक समुदाय से, दो (२) सदस्य कर्मचारी समुदाय से एवं दो (२) सदस्य वर्तमान/पूर्व छात्रों से पूर्ण होगी. उपरोक्त छह (०६) सदस्यों का मनोनयन माननीय कुलपति, पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय द्वारा की जावेगी.

4. न्यासधारी या प्रबंधक के उत्तराधिकार की रीति- इस ट्रस्ट समिति के पदेन सदस्यों का कार्यकाल, पद के कारण, निश्चित अवधि का नहीं होगा. परन्तु सभी मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल मनोनयन की तिथि से तीन (३) साल का होगा. मनोनीत सदस्य के स्थान रिक्ति होने की स्थिति में उपरोक्त नियमानुसार उसी वर्ग से पूर्ति की जावेगी.
5. न्यास सृजित करने वाले दस्तावेजो के ब्यौरे (प्रतिलिपियाँ संलग्न) -
6. न्यास के सम्बन्ध में यदि कोई स्कीम हो, तो उसके ब्यौरे (प्रतिलिपियाँ संलग्न) -
7. चल संपत्ति, ऐसी संपत्ति के प्रत्येक वर्ग के प्राक्कलित मूल्य के साथ टिप्पणी
8. क) अचल संपत्ति के ब्यौरे ग्राम या क़स्बा जहाँ यह अवस्थित है, दर्शित करते हुए नगर पालिका या भूमि या खसरा क्रमांक निर्धारण और अवधी के विवरण समेत जिस पर धारित हो (संपत्तियों के सम्बन्ध में अधिकारी अभिलेख या नगर पालिका अभिलेख की प्रविष्टियों की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ संलग्न)
   ख) विशेषज्ञ की मूल्यांकन रिपोर्ट द्वारा संलग्न प्रयतेक अचल संपत्ति का प्राक्कलित मूल्य
9. न्यास के आय के श्रोत
   i. नियमित चंदा
   ii. नैम्मितिक दान
   iii. भेट
   iv. विश्वविद्यालय का सहयोग
10. औसत सकल वार्षिक आय
11. औसत वार्षिक व्यय
   i. न्यासियों और प्रबंधक के बैठकों पर
   ii. स्थापना और कर्मचारी वृन्द पर
   iii. धार्मिक उददेशय पर
   iv. पुर्त उद्देश्यों पर
   v. विविध मदों पर
   vi. पूजा अर्चना हेतु एक पंडित एवं अन्य कर्मचारिओं को प्रति माह दिए जाने वाले निर्धारित मानदेय
12. न्यास संपत्ति के विल्लंगम के ब्यौरे, यदि कोई हो
13. न्यास संपत्ति से सम्बंधित हक - विलेखों के ब्यौरे और इनके अधिपत्य में होने वाले न्यासियों के नाम संलग्नित
14. वित्तीय वर्ष में सामान्य बजट

३.

४.

५. टिप्पणी, यदि कोई हो रूपये _____ शुल्क संलग्न है

६. न्यासी अथवा प्रबंधक को न्यास के सम्बन्ध में कोई भी स.सूचना निम्म्नानुसार पते पर भेजी जा सकती है

७. नाम

पता

मैं/हम घोषित करते है की उपरोक्त वर्णित न्यास के सम्बन्ध में पूर्व में कोई आवेदन किसी अन्य पंजीयक के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है.

आवेदक/आवेदक गण के हस्ताक्षर

(75)

सत्यापन

प्रमाणित किया गया है की पद ---------- की अंतर्वस्तु मेरे/ हमारे निजी ज्ञान से सत्य है और पद _____ की अंतर्वस्तु प्राप्त और सत्य होने का बिश्वास की गयी जानकारी पर आधारित होने से सत्य है.

दिनांक ____ २०१७ को रायपुर में हस्ताक्षरित किया गया

आवेदक/आवेदक गण के हस्ताक्षर

	हस्ताक्षर	नाम	पता
१.			
२.			
३.			
४.			
५.			
६.			
७.			
८.			
९.			
१०.			
११.			

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

(76)

माननीय कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ रखे जाने हेतु कार्यालयीन टीप

विषयः- **विश्वविद्यालय के प्राक्टोरियल बोर्ड के गठन बाबत्।**

विश्वविद्यालय परिसर में अनुशासनहीनता से संबंधित होने वाली विभिन्न घटनाओं/विषयों के संबंध में संबंधितों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने का उत्तरदायित्व प्राक्टर का है।

विश्वविद्यालय के **अध्यादेश क्रमांक 77 A** की कंडिका 4 के प्रावधानानुसार विश्वविद्यालय की माननीय कार्यपरिषद द्वारा प्राक्टोरियल बोर्ड का गठन किया जाना है, जिसमें प्राक्टर एवं कुछ संयुक्त प्राक्टर को शामिल किया जाना है।

उपरोक्तानुसार विश्वविद्यालय में गठित किये जाने वाले **प्राक्टोरियल बोर्ड** में विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को शामिल किये जाने बाबत् निर्णय हेतु, प्रकरण माननीय कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।